लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक

17/20 दिसम्बर, 2007

में विचारणीय विषयों की

कार्य-सूची

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17 दिसम्बर, 2007 में विचारणीय विषयों की कार्य–सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27 अक्टूबर, 2007 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
2.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27 अक्टूबर, 2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	06
3.	लखनऊ विकास प्राधिकरण के कम्प्यूटर अनुभाग में सहायक प्रोग्रामर के पद की शैक्षिक योग्यता का पुनर्निधारण किये जाने की औपचारिक स्वीकृति।	10
4.	लखनऊ विकास प्राधिकरण के कम्प्यूटर अनुभाग में डाटा इन्ट्री आपरेटर के पद की शैक्षिक योग्यता का पुनर्निधारण किये जाने की औपचारिक स्वीकृति।	11
5.	लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्राधिकरण कर्मिकों को समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।	12
6.	जनपद न्यायाधीश स्तर के सेवा निवृत्त न्यायाधीश को संविदा पर एक–एक वर्ष की अवधि के लिए रखे जाने के सम्बन्ध में ।	30
7.	श्री वीरेन्द्र कुमार मेट (वर्कचार्ज) के पुत्र छोटू के लीवर में फोडा हो जाने के कारण चिकित्सा पर व्यय धनराशि रुपया 29,385/– की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में ।	31
8.	हरदोई रोड योजना (बसन्त कुन्ज) के अर्न्तगत स्थित ग्राम बरावन कला की 17.367 हेक्टेअर भूमि का अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में ।	32
9.	लखनऊ–कानपुर रोड तथा लखनऊ–मोहान के मध्य एयरपोर्ट के समीप लगभग 5000 एकड़ भूमि सुनियोजित विकास के लिए तथा लगभग 1250 एकड़ भूमि आउटर रिंग रोड के लिए अधिग्रहण के सम्बन्ध में ।	35
10.	सोलर वाटर हेटिंग संयंत्रों के मानकों को लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रस्तावित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समाविष्ट करने के सम्बन्ध में ।	41
11.	स्टेशन रोड (हुसैनगंज कासिंग से के0के0सी0 कालेज तक) स्थित भूमि का भू–उपयोग बाजार स्ट्रीट से व्यवसायिक किये जाने के सम्बन्ध में ।	45

12.	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 में आवश्यक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 7.12.07 के कार्यवृत्त का अवलोकन एवं उस पर निर्णय लिया जाना ।	51
13.	ग्राम जुगौली, जनपद–लखनऊ, के खसरा सं0 87 एवं 88 का अंश भाग जिनका कुल क्षेत्रफल 0.809 हेक्टेअर है, को लखनऊ महायोजना 2021 में निर्धारित भू–उपयोग पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी से सामुदायिक सुविधायें/उपयोगितायें एवं सेवायें भू– उपयोग में परिवर्तन करने तथा ग्राम–औरंगाबाद खालसा तहसील व जनपद, लखनऊ के खसरा संख्या 1062, 1063, 1064, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1341, 1342, 1344, 1345, 1352, 1354, तथा 1359 जिनका कुल क्षेत्रफल 2.603 हेक्टेअर है, को लखनऊ महायोजना 2021 में निर्धारित भू–उपयोग पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तित करने एवं ग्राम– औरंगाबाद खालसा, मजरा–ख्वाजापुर, तहसील व जनपद–लखनऊ के खसरा सं0 1350 (पी), 1356(पी), 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384(पी),1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, तथा 1433 जिनका कुल क्षेत्रफल 3.437 हेक्टेअर है, का भू–उपयोग लखनऊ महायोजना 2021 में निर्धारित आवासीय से पार्क एव खुले क्षेत्र/हरित पट्टी भू–उपयोग में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में ।	59
14.	नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज को विराज खण्ड के तखवा गॉव में रिक्त 4.80 एकड़ भूमि पर लगे दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।	72
15.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैलेन्श शीट वर्ष 2006–07 प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना ।	74

विषय संख्या : 1   पृष्ठ संख्या : 01

विषयः लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27 अक्टूबर, 2007 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

पुष्टिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांकः 27 अक्टूबर, 2007 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु संलग्न है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27 अक्टूबर, 2007 में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री विजय शंकर पाण्डेय	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री किशन सिंह अटोरिया	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
3.	श्री चन्द्र भानु	जिलाधिकारी, लखनऊ।
4.	श्री रामबहादुर (प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव–आवास)	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
5.	श्री ओम नारायण	निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
6.	श्री ए0सी0 सिन्हा (प्रतिनिधि–नगर आयुक्त)	अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
7.	श्री अवनीश चतुर्वेदी.	संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8.	ई0 सूरज लाल	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम,लखनऊ।
9.	श्री एस0बी0 दफ्तरदार (प्रतिनिधि–मु0न0 एवं ग्रा0नि0)	सीनियर प्लानर, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
10.	श्री संजीव कश्यप (प्रतिनिधि–आवास आयुक्त)	आर्कीटेक्ट प्लानर/ओ.एस.डी. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

अन्य उपस्थिति :

11.	श्री भूपेन्द्र सिंह	सचिव, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
12.	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह	अपर सचिव, ल0वि0प्रा0।
13.	श्री महेन्द्र प्रसाद	वित्त नियन्त्रक, ल.वि.प्रा.।
14.	श्री त्रिलोकी नाथ	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
15.	श्री रवि श्रीवास्तव	मुख्य अभियन्ता–वि0/यां0, ल0वि0प्रा0

अध्यक्ष महोदय के सम्बोधन एवं उपाध्यक्ष एवं सदस्यगणों के औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक प्रारम्भ हुई ।

विषय संख्या : 1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2007 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
निर्णय :	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
विषय संख्या : 2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।
निर्णय :	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
विषय संख्या : 3	भूखण्ड संख्या 13–ए माल एवेन्यू, लखनऊ पर प्रस्तावित **"मान्यवर कांशीराम यादगार विश्राम स्थल"** मानचित्र को फ्लोटिंग उपयोग के अन्तर्गत विशेष अनुमति से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में लखनऊ महायोजना–2021 में प्राविधानित समिति की संस्तुति पर विचार–विमर्श।
निर्णय :	विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
विषय संख्या : 4	भूखण्ड संख्या–4, साउथ एवेन्यू लखनऊ पर प्रस्तावित **"मान्यवर कांशीराम स्मृति भवन"** मानचित्र को फ्लोटिंग उपयोग के अन्तर्गत विशेष अनुमति से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में लखनऊ महायोजना–2021 में प्राविधानित समिति की संस्तुति पर विचार–विमर्श।
निर्णय :	विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
विषय संख्या : 5	लखनऊ विकास प्राधिकरण के आय–व्यय वित्तीय वर्ष 2007–08 की समीक्षा।
निर्णय :	निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की आगामी बैठक के पूर्व वर्ष 2005–06 का आय–व्ययक एवं बैलेंस शीट एजेण्डा के साथ प्रसारित कर दी जाये तथा आगामी बैठक में इस पर विचार–विमर्श किया जाये।

4

विषय संख्या : 6 — लखनऊ विकास प्राधिकरण के संस्थागत भूखण्डों के आवंटन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विचार–विमर्श एवं निर्णय।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि संस्थागत भूखण्डों के आवंटन की प्रक्रिया एक माह में तैयार करके आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये। तब तक ग्रेटर नोएडा में लागू प्रक्रिया के अनुसार आवंटन कार्यवाही की जाये।

विषय संख्या : 7 — वर्ष 1980 से लखनऊ विकास प्राधिकरण में लम्बित पुराने पंजीकरणों पर चर्चा एवं उनके सम्बन्ध में निर्णय पर विचार।

निर्णय : हरदोई रोड योजना के लम्बित पंजीकरणों के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि जिन सेक्टरों के लिए लाटरी अभी नहीं डाली गयी है, उनकी लाटरी की कार्यवाही शीघ्र सम्पादित की जाये। जिससे प्राधिकरण को ब्याज की देयता से बचाया जा सके।

विषय संख्या : 8 — लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित की जा रही भूमि की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा।

निर्णय : प्रगति का अवलोकन किया गया एवं निर्णय लिया गया कि भूमि अर्जन की प्रस्तावित योजनाओं में समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करके धारा–4 व धारा–6 की विज्ञप्तियॉ प्रकाशित करायी जाये तथा अर्जित भूमि का टेन्टेटिव ले–आउट प्लान भी साथ–साथ तैयार कराया जाये।

विषय संख्या : 9 — लखनऊ विकास प्राधिकरण में चल रहे कम्प्यूटराइजेशन के कार्य की प्रगति की समीक्षा।

निर्णय : प्रगति से अवगत कराया गया एवं निर्देश दिये गये कि साफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने तथा उस पर कार्य प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो चुकी है। अतः निर्देश दिये गये कि एक सुनिश्चित कार्यक्रम तैयार करके कम्प्यूटराइजेशन की कार्यवाही की जाये तथा आगामी बैठक में भी समीक्षा की जाये।

5

विषय संख्या : 10 लखनऊ विकास प्राधिकरण में जन–शिकायतों के निस्तारण एवं प्रक्रिया पर विचार।

निर्णय : जन शिकायतों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर प्रकाशित करा दिये जाये, जिससे जनता को सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क करने में कठिनाई न हो। यह भी निर्देश दिये गये कि निस्तारण से शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जाये।

अनुपूरक विषय सं0 : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्थित भूमि के समायोजन हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि विभिन्न योजनाओं में जो खसरा नम्बर पूर्व में अधिग्रहण से छूट गये है, उनका तत्काल अधिग्रहण किया जाये तथा पूर्व के अधिग्रहण में जो भूमि छूट गई, उसके लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध कृत कार्यवाही की आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि समायोजन के जो प्रकरण पूर्व में क्रियान्वित नहीं हो पाये हैं, उन्हें निरस्त कर दिया जाये। यदि कोई समायोजन प्राधिकरण की योजनाओं के हित में अत्यन्त अपरिहार्य हो तो उसे मुख्य अभियन्ता, संयुक्त सचिव–अर्जन, वित्त नियंत्रक, अपर सचिव व सचिव की समिति द्वारा विधिवत् परीक्षण करके औचित्य सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव

(किशन सिंह अटोरिया)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(विजय शंकर पाण्डेय)
आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषय संख्याः 02 पृष्ठ संख्याः

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27 अक्टूबर, 2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

विषय कमांक	विषय	लिया गया निर्णय	अनुपालन
1.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2007 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दि0 29 सितम्बर, 2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।	नोट किया गया ।
2.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई ।	नोट किया गया ।
3.	भूखण्ड संख्याः 13ए माल एवन्यू, लखनऊ पर प्रस्तावित "मान्यवर कांशीराम यादगार स्थल" मानचित्र को फ्लोटिंग उपयोग के अन्तर्गत विशेष अनुमति से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में लखनऊ महायोजना–2021 में प्राविधानित समिति की संस्तुति पर विचार–विमर्श ।	विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
4.	भूखण्ड संख्याः 4, साऊथ एवन्यू, लखनऊ पर प्रस्तावित "मान्यवर कांशीराम स्मृति भवन" मानचित्र को फ्लोटिंग उपयोग के अन्तर्गत विशेष अनुमति से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में लखनऊ महायोजना–2021 में प्राविधानित समिति की संस्तुति पर विचार–विमर्श ।	विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।	लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
5	लखनऊ विकास प्राधिकरण के आय–व्यय वित्तीय वर्ष 2007–08 की समीक्षा ।	निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक के पूर्व वर्ष 2005–06 का आय–व्ययक एवं बैलेन्स शीट एजेण्डा के साथ प्रसारित कर दी जाये तथा आगामी बैठक में इस पर विचार–विमर्श किया जाये ।	वॉछित बैलेन्स शीट वित्त नियन्त्रक द्वारा प्रस्तुत की गयी।मा0 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्यगणों के अवलोकनार्थ संलग्न है।
6.	लखनऊ विकास प्राधिकरण के संस्थागत भूखण्डों के आवंटन की प्रकिया के सम्बन्ध में विचार–विमर्श एवं निर्णय ।	निर्णय लिया गया कि संस्थागत भूखण्डों के आवंटन की प्रकिया एक माह में तैयार करके आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये। तब	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

		तक ग्रेटर नोएडा में लागू प्रकिया के अनुसार आवंटन कार्यवाही की जाये ।	
7.	वर्ष 1980 से लखनऊ विकास प्राधिकरण में लम्बित पुराने पंजीकरणों पर चर्चा एवं उनके सम्बन्ध में निर्णय पर विचार ।	हरदोई रोड योजना के लम्बित पंजीकरणों के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि जिन सेक्टरों के लिए लाटरी अभी नहीं डाली गई है, उनकी लाटरी की कार्यवाही शीघ्र सम्पादित की जाये जिससे प्राधिकरण को ब्याज की देयता से बचाया जा सके ।	लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
8.	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित की जा रही भूमि की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा ।	प्रगति का अवलोकन किया गया एवं निर्णय लिया गया कि भूमि अर्जन की प्रस्तावित योजनाओं में समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करके धारा–4 व धारा–6 की विज्ञप्तियॉ प्रकाशित करायी जाये तथा अर्जित भूमि का टेंन्टेटिव ले–आउट प्लान भी साथ–साथ तैयार कराया जाये ।	प्रबन्ध नगर आवासीय योजना भाग–1 व 2 के लिए धारा–4 की विज्ञप्ति प्रकाशित करायी जा चुकी है तथा भूमि अधिग्रहण की धारा–5 के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति द्वारा सुनवाई की जा रही है। प्रबन्ध नगर आवासीय योजना भाग–3 का प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। धारा–6 की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त योजना का ले–आउट प्लान तैयार कराया जाना प्रस्तावित है।
9.	लखनऊ विकास प्राधिकरण में चल रहे कम्प्यूटराइजेशन के कार्य की प्रगति की समीक्षा ।	प्रगति से अवगत कराया गया एवं निर्देश दिये गये कि साफ्टवेयर को इम्प्लीमेन्ट करने तथा उस पर कार्य प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो चुकी है। अतः निर्देश दिये गये कि एक सुनिश्चित कार्यक्रम तैयार करके कम्प्यूटराइजेशन की कार्यवाही की जाये तथा आगामी बैठक में भी समीक्षा की जाये ।	प्रोग्रामर एनालिस्ट द्वारा अपने पत्र सं0: 186 / ई0डी0पी / 07, दिनांक 7.12.2007 द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण बैठक दि0 27.10.07 के पश्चात् दि0 15. 11.2007 को प्रमुख सचिव, आवास की अध्यक्षता में समस्त

			प्राधिकरणों की बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में बिरला साफ्ट द्वारा साफ्टवेयर में संशोधन व डाटामाइग्रेशन का कार्य किया जा रहा है। दि0 1.1.08 से आईएससीपी साफ्टवेयर को प्राधिकरणों में Parallel Run कराने के साथ–2 दिनांक 1.4.08 से पूर्ण रुप से आईएएसपी साफ्टवेयर पर स्वीचओवर कराने के निर्देश प्रदान किये गये है।
10.	लखनऊ विकास प्राधिकरण में जन शिकायतों के निस्तारण एवं प्रक्रिया पर विचार ।	जन शिकायतों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर प्रकाशित करा दिये जायें जिससे जनता को सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क करने में कठिनाई न हो। यह भी निर्देश दिये गये कि निस्तारण से शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जाये ।	कार्यवाही की जा रही है।
अनुपूरक विषय–1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्थित भूमि के समायोजन हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि विभिन्न योजनाओं में जो खसरा नम्बर पूर्व में अधिग्रहण से छूट गये हैं, उनका तत्काल अधिग्रहण किया जाये तथा पूर्व के अधिग्रहण में जो भूमि छूट गई, उसके लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरुद्ध कृत कार्यवाही की आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि समायोजन के जो प्रकरण पूर्व में क्रियान्वित नहीं हो पाये हैं उन्हें निरस्त कर दिया जाये।	विभिन्न योजनाओं में जो भूमि घोषणा होने के पूर्व में अधिग्रहण से छूट गयी थी उन्हें चिन्हीकरण किया जा रहा है। चिन्हीकरण के उपरान्त वस्तुस्थिति से अवगत कराया जायेगा। अन्य प्रकरणों में निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

		यदि कोई समायोजन प्राधिकरण की योजनाओं के हित में अत्यन्त अपरिहार्य हो तो उसे मुख्य अभियन्ता, संयुक्त सचिव–अर्जन, वित्त नियन्त्रक, अपर सचिव व सचिव की समिति द्वारा विधिवत् परीक्षण करके औचित्य सहित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।	

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक हेतु परिचालन प्रस्ताव

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण के कम्प्यूटर अनुभाग में सहायक प्रोग्रामर के पद की शैक्षिक योग्यता के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के कम्प्यूटर अनुभाग में विभिन्न प्रकार के पदों के सृजन एवं उनकी योग्यता के निर्धारण हेतु प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 02.04.86 के विषय संख्या–20 में प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव में "सहायक प्रोग्रामर" के पद हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता/अनुभव निम्नानुसार अनुमोदित की गई थी :–

पदनाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
सहायक प्रोग्रामर	एम0एस0सी0 (गणित)/एम0काम0/एम0बी0ए0/कोबोल तथा बेसिक भाषा में ट्रेनिंग।	एक वर्ष प्रोग्रामिंग का अनुभव वांछनीय।

सहायक प्रोग्रामर के रिक्त पद को बैकलाग के अर्न्तगत सीधी भर्ती में नियुक्ति हेतु विज्ञापित किया गया था। इस पद हेतु कुल 24 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें पद के अनुसार निर्धारित उपरोक्त शैक्षिक योग्यता के अभ्यर्थी नहीं पाये गये। चयन समिति की संस्तुति के अनुसार सहायक प्रोग्रामर के पद की उक्त विज्ञापित शैक्षिक योग्यता वर्तमान तकनीकी परिवेश में उपयुक्त नहीं है। अतएव सहायक प्रोग्रामर के पद की तकनीकी योग्यता का आंकलन करते हुए पद को पुनः शैक्षिक योग्यता निर्धारित करते हुए विज्ञापित किये जाने की आवश्यकता है।

चयन समिति की संस्तुति के अनुसार रिक्त सहायक प्रोग्रामर के पद को बैकलाग के अन्तर्गत आरक्षण में सीधी भर्ती में नियुक्ति हेतु उपरोक्त शैक्षिक योग्यता में संशोधन निम्नानुसार किया जाना उचित होगा :–

पदनाम	शैक्षिक योग्यता
सहायक प्रोग्रामर	बी0टेक0/आई0टी0–कम्प्यूटर साइंस/~~एम0सी0ए0~~

अतः सहायक प्रोग्रामर पद की उक्त निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी योग्यता के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

28-11-2009

(योगेश कुमार शुक्ला)
संयुक्त सचिव–अधिष्ठान

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक हेतु परिचालन प्रस्ताव

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण के कम्प्यूटर अनुभाग में डाटा इन्ट्री आपरेटर के पद की शैक्षिक योग्यता के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के कम्प्यूटर अनुभाग में विभिन्न प्रकार के पदों के सृजन एवं उनकी योग्यता के निर्धारण हेतु प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 02.04.86 के विषय संख्या–20 में प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव में "डाटा इन्ट्री आपरेटर" के पद हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता/अनुभव निम्नानुसार अनुमोदित की गई थी :–

पदनाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
डाटा इन्ट्री आपरेटर	बी0एस0सी0/बी0ए0 अंग्रेजी व गणित का अच्छा ज्ञान, की पंचिंग का प्रशिक्षण।	10 हजार की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति।

डाटा इन्ट्री आपरेटर के रिक्त पद को बैकलाग के अर्न्तगत सीधी भर्ती में नियुक्ति हेतु विज्ञापित किया गया था। इस पद हेतु कुल 564 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें पद के अनुसार निर्धारित उपरोक्त शैक्षिक योग्यता किसी अभ्यर्थी में नहीं पायी गई। चयन समिति की संस्तुति के अनुसार डाटा इन्ट्री आपरेटर के पद की उक्त विज्ञापित शैक्षिक योग्यता वर्तमान तकनीकी परिवेश में उपयुक्त नहीं है। अतएव डाटा इन्ट्री आपरेटर के पद की तकनीकी योग्यता का आंकलन करते हुए पद को पुनः शैक्षिक योग्यता निर्धारित करते हुए विज्ञापित किये जाने की आवश्यकता है।

चयन समिति की संस्तुति के अनुसार रिक्त डाटा इन्ट्री आपरेटर के पद को बैकलाग के अन्तर्गत आरक्षण में सीधी भर्ती में नियुक्ति हेतु उपरोक्त शैक्षिक योग्यता में संशोधन निम्नानुसार किया जाना उचित होगा :–

पदनाम	शैक्षिक योग्यता
डाटा इन्ट्री आपरेटर	बी0टेक0/आई0टी0–कम्प्यूटर साइंस/~~बी0सी0ए0~~

अतः डाटा इन्ट्री आपरेटर पद की उक्त निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी योग्यता के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

20.11.2007

(योगेश कुमार शुक्ला)
संयुक्त सचिव–अधिष्ठान

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक हेतु प्रस्ताव

विषय:- लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्राधिकरण कर्मिकों को समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने से सम्बन्धित बोर्ड बैठक हेतु प्रस्ताव।

शासन के वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: वे0आ0-2-183/दस-45(एम)/99 लखनऊ दिनांक 31.01.2001 में उल्लिखित स्थानीय निकाय, जिला पंचायतों, जल संस्थानों तथा विकास प्राधिकरणों के पूर्णकालिक कर्मचारियों को शासनादेश संख्या: वे0आ0-2-182/दस-97-स्था0नि0-3-89 दिनांक 20.02.97 के द्वारा समयमान वेतनमान का लाभ अनुमन्य किया गया था। शासनादेश संख्या: प0मा0नि0-356/दस-22(एम)/97 दिनांक 23.12.1997 के द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था को स्थगित करने विषयक निर्णय के क्रम में स्थानीय निकायो, जिला पंचायतों, जल संस्थानों एवं विकास प्राधिकरणों में उनके प्रशासनिक विभागों द्वारा भी समयमान वेतनमान की सुविधा को स्थगित करने के आदेश दिये गये थे। शासनादेश संख्या: वे0आ0-2-560/दस-45(एम)/99 लखनऊ दिनांक 02.12.2000 के द्वारा समयमान वेतनमान की व्यवस्था कतिपय संशोधन के साथ पुर्नस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा/सर्वोच्च प्राथमिकता से सम्बन्धित शासन के पत्र संख्या: 1778/आठ-5-2005 दिनांक 24.06.2005, जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 07.04.2005 को जनपद लखनऊ के भ्रमण के दौरान की गई घोषणाओं के क्रियावयन के सम्बन्ध में है, घोषणा में समयमान वेतनमान की सुविधा बढाये जाने के सम्बन्ध में है। शासन के उक्त पत्र के क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण कर्मचारी संगठनों द्वारा अन्य विकास प्राधिकरणों में समयमान वेतनमान की सुविधा प्रदान की जा चुकी है, की भाति लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत प्राधिकरण सेवा के कर्मचारियों/अधिकारियों को समयमान वेतनमान की सुविधा दिये जाने की मांग की गई। कर्मचारी संघ की मांग पर तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्राधिकरण कर्मियों को समयमान वेतनमान की सुविधा प्रदान कर दी गई थी परन्तु इस विषय पर शासन स्तर पर चर्चा होने के उपरान्त इस सुविधा को स्थगित कर दिया गया। इसी बीच शासन के पत्र संख्या: 2235/आठ-5-06-199ई/98 दिनांक 16.06.2006 के द्वारा प्राधिकरण कर्मियों को समयमान वेतनमान अनुमन्य किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है। प्राधिकरण द्वारा बिना शासन के अनुमति के समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाना वित्तीय अनियमितता होगी, के आदेश प्राप्त हुए। शासनादेश संख्या: वे0आ0-2-627/दस-2007-44/2001टी0सी0 दिनांक 21.06.2007 प्राप्त हुआ है जिसके कम में वित्त नियत्रक से आख्या

प्राप्त की गयी। वित्त नियत्रक ने अपनी आख्या में यह स्पष्ट किया है कि वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियो पर लिये गये निर्णयनुसार राज्य कर्मचारियो के लिए समयमान वेतनमान की स्वीकृत दी गयी है तथा अपनी आख्या में यह भी स्पष्ट किया है कि गाजियाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, हापुड-पिलखुआ आदि विकास प्राधिकरणो में यह सुविधा अपने कर्मियो को अपने श्रोत्रो से दी गयी है। इन प्राधिकरणो से जो कर्मी लखनऊ विकास प्राधिकरण स्थानान्तरित होकर आये है उन्हे समयमान वेतनमान का लाभ लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिया जा रहा है जिस कारण यहा के समानान्तर कर्मचारी इस लाभ से वंचित है। अतः समानता के आधार पर अन्य विकास प्राधिकरणो की भॉति लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियो को भी समयमान वेतनमान स्वीकृत करने पर विचार किया जा सकता है। इस पर होने वाला वित्तीय उपाशय का वहन प्राधिकरण द्वारा अपने श्रोत्र से कर लिया जायेगा। प्राधिकरण कर्मचारी संगठनों द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि प्राधिकरण में लम्बे समय से कार्यरत कर्मचारियों में बहुत से कर्मचारी वेतन के अधिकतम पर भी पहुॅच चुके है, को उक्त सुविधा न प्राप्त होने के कारण उन्हे आर्थिक हानि हो रही है। जबकि अन्य विकास प्राधिकरण कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की सुविधा दी जा रही है।

अतः शासन के उपरोक्त आदेशों एवं प्राधिकरण कर्मचारी संगठनों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्राधिकरण सेवा के कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को समयमान वेतनमान की सुविधा प्रदान किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(योगेश कुमार शुक्ला)
संयुक्त सचिव-अधिष्ठान

(एस० एस० मिश्र)
सचिव

वी० के० शर्मा,
सचिव, वित्त

अर्द्धशा०प०सं०—वे०आ०—2—183/दस—45(एम)/99
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—2

लखनऊ : दिनांक :31 जनवरी, 2001

प्रिय महोदय,

स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, जल संस्थानों तथा विकास प्राधिकरणों के पूर्णकालिक कर्मचारियों को शासनादेश संख्या—वे०आ०—2—182/दस—97—स्था०नि०—3—89, दिनांक 20 फरवरी, 1997 द्वारा समयमान वेतनमान का लाभ अनुमन्य किया गया था। शासनादेश संख्या—प०मा०नि०—360/दस—22(एम)/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था को स्थगित करने विषयक निर्णय के कम में स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, जल संस्थानों एवं विकास प्राधिकरणों में उनके प्रशासकीय विभागों द्वारा भी समयमान वेतनमान के लाभ की सुविधा को स्थगित करने के आदेश किये गये थे। इस विषय में आपको यह सूचित करना है कि राज्य कर्मचारियों के लिये शासनादेश संख्या—वे०आ०—2—560/दस—45(एम)/99, दिनांक 2 दिसम्बर, 2000 द्वारा समयमान वेतनमान की व्यवस्था कतिपय संशोधन के साथ पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

2. शासन के उपर्युक्त निर्णय के कम में उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 2 दिसम्बर, 2000 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ निकायों/संस्थाओं के कर्मचारियों के विषय में सम्बन्धित स्थानीय निकाय/संस्था की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पुनरीक्षित वेतनमानों में समयमान वेतनमान का लाभ पुनर्स्थापित करने हेतु आवश्यक आदेश वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करते हुए अपने स्तर से निर्गत कराने का कष्ट करें। इस विषय में यह स्पष्ट करना है कि राज्य कर्मचारियों के लिए लागू की गयी समयमान वेतनमान की व्यवस्था स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों के लिये मार्गदर्शी होगी। अतः कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि आपके स्तर से स्वीकृत समयमान वेतनमान सम्बन्धी लाभ राज्य कर्मचारियों के लिये स्वीकृत उपर्युक्त लाभों के अधीन ही हों।

संलग्नक: यथोपरि ।

भवदीय,

(वी० के० शर्मा)

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
आवास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

आवास अनुभाग-6
उ० प्र० शासन

संख्या–वे०आ०–2-182/ दस–97– स्था० नि०-3-89

प्रेषक,

श्री विनोद कुमार मित्तल,
प्रमुख सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ० प्र०,
4-प्राग नारायण रोड, लखनऊ।

(2) निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
उ० प्र०, लखनऊ।

(3) समस्त अध्यक्ष,
जिला पंचायतें, उ० प्र०।

(4) समस्त नगर प्रमुख,
नगर महापालिका, उ० प्र०।

(5) समस्त अध्यक्ष,
नगर पालिका/टाउन एरिया कमेटी/ नोटीफाइड एरिया कमेटी, उ० प्र०।

लखनऊ: दिनांक 20 फरवरी, 1997

विषय: स्थानीय निकाय, जिला परिषद्, जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरणों के पूर्णकालिक कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या–वे०आ०–2-315/ दस–स्था० नि०-3-89, दिनांक 13 फरवरी, 1990, जहाँ तक इसका संबंध स्थानीय निकाय, जिला परिषद्, जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरण के पूर्णकालिक सेवा के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य कराने हेतु एक वेतनवृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान के लाभ से है, के प्रस्तर–3 (9) तथा प्रस्तर-3 (10) को दिनांक 1 मार्च, 1995 से समाप्त करते हुए इसी तिथि अर्थात् 1-3-1995 से ही उक्त कोटि के कर्मचारी जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु० 3500/- तक है, के संबंध में निम्न व्यवस्था लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1—दिनांक 5-11-85 से पूर्व नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित, ऐसे कर्मचारी जिनकी अधिवर्षिता आयु 58 वर्ष हो अथवा जो 58 वर्ष पर अधिवर्षता का विकल्प दें और जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु० 3500/- तक है:–

(क) उक्त कोटि के ऐसे कर्मचारी जो 8 वर्ष की संतोषजनक अनवरत सेवा 1 मार्च, 1995 को अथवा उसके बाद आगामी तिथि को संबंधित पद पर पूर्ण करते हैं, सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य कराने हेतु उनका वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में ही उस तिथि को अगले प्रक्रम पर निर्धारित कर दिया जाय। इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी को, जिसे यह लाभ अनुमन्य कराया जाय, 8 वर्ष की सेवा के पश्चात् एक वेतनवृद्धि का लाभ उसी वेतनमान में मिलेगा। ऐसे पदधारक जिन्हें पूर्व व्यवस्था के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के अंतर्गत देय एक वेतनवृद्धि का लाभ 1 मार्च, 1995 से पूर्व प्राप्त हो चुका है, ऐसे मामलों में अब लागू की जा रही व्यवस्था के उपरान्त वेतनवृद्धि के लाभ की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ख) उक्त कोटि के ऐसे कर्मचारी जो संबंधित पद पर नियमित हो चुके हैं उनकी जब 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा सेलेक्शन ग्रेड के उक्त लाभ की सेवा को सम्मिलित करते हुए कुल 14 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी हो जाती है, पदोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देते हुए उनका वेतन उस वेतन के अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जाय। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिए पदोन्नति का कोई पद नहीं है उनको उस वेतनमान जिसमें वे कार्यरत हैं, से अगला वेतनमान देय होगा। वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान देने के लिए सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के अन्तर्गत देय एक वेतनवृद्धि की तिथि से 6 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा आवश्यक है। सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की सेवा गणना हेतु पूर्व में इसके अन्तर्गत यदि एक वेतनवृद्धि मिल चुकी है तो उस वास्तविक दिनांक से गिनी जायेगी।

(ग) उक्त कोटि के प्रत्येक नियमित कर्मचारी जब वह वैयक्तिक रूप से अनुमन्य प्रोन्नत/अगले वेतनमान में 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा तथा कुल 19 वर्ष की सेवा पूरी कर लेते हैं, को प्रोन्नत/अगले वेतनमान में वेतन उस तिथि को अगले प्रक्रम पर निर्धारित कर दिया जाय अर्थात् उसे एक वेतनवृद्धि का लाभ उसी वेतनमान में अनुमन्य होगा। किन्तु यदि किसी नियमित पदधारक को पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 16 वर्ष की सेवा के आधार पर वैयक्तिक रूप से प्रोन्नत वेतनमान/अगला वेतनमान पहले मिल चुका है तो 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा की गणना में पूर्व में जिस दिनांक से यह लाभ मिला है उसे संज्ञान में लिया जायेगा। उदाहरणस्वरूप यदि पदधारक को वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान/अगला वेतनमान 1 फरवरी, 1992 को मिल चुका था तो 1 फरवरी, 1997 को उक्त व्यवस्था के अधीन एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी।

(घ) उक्त कोटि के प्रत्येक नियमित कर्मचारी को प्रोन्नत/अगले वेतनमान में एक वेतनवृद्धि के लाभ की तिथि से 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा तथा कुल 24 वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रोन्नत/अगला वेतनमान अनुमन्य होगा। अर्थात् ऐसे कर्मचारी जिनके संवर्ग में प्रोन्नति का पद उपलब्ध है, को प्रोन्नति का अगला वेतनमान देय होगा और ऐसे कर्मचारी जिनके संवर्ग में प्रोन्नति का कोई पद नहीं है, उनको उस वेतनमान का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा।

2—उपरोक्त कोटि के दिनांक 4 नवम्बर, 1985 के पश्चात् नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित, ऐसे कर्मचारी जिनकी अधिवर्षिता आयु 60 वर्ष है अथवा जो अधिवर्षिता आयु 60 वर्ष बनाये रखने का विकल्प दें और जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु० 3500/- तक है:-

(क) उक्त कोटि के ऐसे कर्मचारी जो 10 वर्ष की संतोषजनक अनवरत सेवा 1 मार्च, 1995 को अथवा उसके बाद आगामी तिथि को संबंधित पद पर पूर्ण करते हैं, सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य कराने हेतु उनका वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में ही उस तिथि को अगले प्रक्रम पर निर्धारित कर दिया जाय। इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी को, जिसे यह लाभ अनुमन्य कराया जाय, 10 वर्ष की सेवा के पश्चात् एक वेतनवृद्धि का लाभ उसी वेतनमान में मिलेगा। ऐसे पदधारक जिन्हें पूर्व व्यवस्था के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के अन्तर्गत देय एक वेतनवृद्धि का लाभ 1 मार्च, 1995 के पूर्व प्राप्त हो चुका है, ऐसे मामलों में अब लागू की जा रही व्यवस्था के उपरान्त वेतनवृद्धि के लाभ की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ख) उक्त कोटि के ऐसे कर्मचारी जो संबंधित पद पर नियमित हो चुके हैं उनकी जब 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा सेलेक्शन ग्रेड के उक्त लाभ की सेवा को सम्मिलित करते हुए कुल 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी हो जाती है, पदोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देते हुए उनका वेतन, उस वेतनमान के अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जाय। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिए पदोन्नति का कोई पद नहीं है, उनको उस वेतनमान जिसमें वे कार्यरत हैं, से अगला वेतनमान देय होगा। वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान देने के लिए सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के अन्तर्गत देय एक वेतनवृद्धि की तिथि से 6 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा आवश्यक है। सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की सेवा गणना हेतु पूर्व में इसके अन्तर्गत यदि एक वेतनवृद्धि मिल चुकी है तो उस वास्तविक दिनांक से गिनी जायेगी।

(ग) उक्त कोटि का प्रत्येक नियमित कर्मचारी जब वह वैयक्तिक रूप से अनुमन्य प्रोन्नत/अगले वेतनमान में 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा तथा कुल 21 वर्ष की सेवा पूरी कर लेते हैं, को प्रोन्नत/अगले वेतनमान में वेतन उस तिथि को अगले प्रक्रम पर निर्धारित कर दिया जाय अर्थात् उसे एक वेतनवृद्धि का लाभ उसी वेतनमान में अनुमन्य होगा। किन्तु यदि किसी नियमित पदधारक को पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 20 वर्ष की सेवा के आधार पर वैयक्तिक रूप से प्रोन्नत वेतनमान/अगला वेतनमान पहले मिल चुका है तो 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा की गणना में पूर्व में जिस दिनांक से यह लाभ मिला है उसे संज्ञान में लिया जायेगा।

(घ) उक्त कोटि के प्रत्येक नियमित कर्मचारी को प्रोन्नत/अगले वेतनमान में एक वेतनवृद्धि के लाभ की तिथि से 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा तथा कुल 26 वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रोन्नत/अगला वेतनमान अनुमन्य होगा। अर्थात् ऐसे कर्मचारी जिनके संवर्ग में प्रोन्नति का पद उपलब्ध है, को प्रोन्नति का अगला वेतनमान देय होगा। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिये प्रोन्नति का कोई पद नहीं है, उनको उस वेतनमान का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा।

3—उपरोक्त शासनादेश दिनांक 13 फरवरी, 1990 उक्त सीमा तक दिनांक 1 मार्च, 1995 से संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

विनोद कुमार मित्तल,
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या—वे० आ०—2—182 (1)/दस—97 स्था० नि०—3—89, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3— समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4— सचिवालय के समस्त अनुभाग।

5— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

6— निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ० प्र०, इलाहाबाद।

7— मुख्य वित्त अधिकारी, जिला परिषद, उत्तर प्रदेश।

8— समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

9— समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।

10—समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे स्थानीय निकायों के [illegible] अधिकारी को बुलाकर उक्त शासनादेश में वेतन निर्धारण हेतु उल्लिखित समस्त प्राविधानों को पूर्ण [illegible] तथा द्वारा निरीक्षण करके भी देखा जाय कि उनका पालन सही प्रकार से किया जा रहा है।

आज्ञा से,

आर० पी० अग्रवाल,
विशेष सचिव।

श्री एस0सी0 मिश्र

संख्या वे0आ0-2-560/दस-45 (एम)-99

प्रेषक,

श्री वी0 के0 मित्तल,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 2 दिसम्बर, 2000

विषय: वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान [illegible] संशोधन।

महोदय,

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए, जिनके पद के वेतनमान का अधिकतम रु0 10500 तक है, समयमान वेतनमान की निम्न व्यवस्था लागू करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

प्रथम वेतनवृद्धि

1. (1) उपर्युक्त श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी, जो एक पद पर 8 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा दिनांक 1-1-1996 अथवा उसके बाद की तिथि को पूर्ण करते हैं, उन्हें समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य कराने हेतु पद के पुनरीक्षित वेतनमान में ही उस तिथि को एक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाय।

प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान

(2) उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की तिथि से 6 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा सहित कुल 14 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो और सम्बन्धित पद पर नियमित हो चुके हों, को प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया जाय। ऐसे संवर्ग/पद जिनमें, [illegible] प्रोन्नति का कोई पद नहीं है, उनको उस वेतनमान से अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा। उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान देने के लिये सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के अन्तर्गत देय एक वेतनवृद्धि की तिथि से 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा अनिवार्य है, किन्तु यदि किसी कर्मचारी को सेलेक्शन ग्रेड का लाभ पूर्व में 10 वर्ष की सेवा के आधार पर मिला हो तो उक्त प्रयोजनार्थ सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की अवधि का प्रतिबन्ध 4 वर्ष रखा जायेगा। उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/ अगले वेतनमान की अनुमन्यता हेतु अधिकारी/कर्मचारी का सम्बन्धित पद पर नियमित होना आवश्यक है। अन्य शर्तों की पूर्ति पर भी सम्बन्धित पद पर नियमित न होने की दशा में पदधारक को यह लाभ उस तिथि से ही अनुमन्य होगा, जिस तिथि से सम्बन्धित पद पर वह नियमित किया जायेगा।

प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में वेतनवृद्धि

(3) उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जो उपर्युक्त प्रस्तर 1(2) के अनुसार वैयक्तिक रूप से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा सहित कुल 19 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें ऐसे प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में उक्त सेवा अवधि पूर्ण कर लेने पर एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होगा। किन्तु यदि किसी नियमित पदधारक को पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 16 वर्ष की सेवा के आधार पर वैयक्तिक रूप से प्रोन्नतीय वेतनमान/ अगला वेतनमान पहले मिल चुका हो, तो उसे उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होने की तिथि से [illegible] वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा के उपरान्त ऐसे वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में एक वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी।

द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान

(4) प्रत्येक नियमित कर्मचारी को वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में उपर्युक्त प्रस्तर-1(3) के अनुसार एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होने की तिथि से 5 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा सहित न्यूनतम 24 वर्ष की सेवा पर वैयक्तिक रूप से द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होगा। ऐसे कर्मचारी जिनके संवर्ग में प्रोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है, उनको उस वेतनमान का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा।

वेतन निर्धारण/ पुनर्निर्धारण

2–(1) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में उपर्युक्त प्रस्तर (1) तथा 1(3) के अन्तर्गत वेतनवृद्धि स्वीकृत होने के फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन [illegible] अनुमन्यता की तिथि को उसी वेतनमान में अगले प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(2) उपर्युक्तानुसार प्रथम तथा द्वितीय वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होने के फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की वेतनवृद्धि की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् वेतनवृद्धि की तिथि वही रहेगी जो उपर्युक्त लाभ [illegible] होगी।

(3) ऐसे मामलों में जहां समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में [illegible] कर्मचारी को दिनांक 1-1-1996 के पूर्व तथा कनिष्ठ कर्मचारी को दिनांक 1-1-1996 अथवा उसके बाद अनुमन्य होने के फलस्वरूप वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी से कम हो जाय तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर निर्धारित कर दिया जाय।

(4) उपर्युक्त प्रस्तर-1(1) के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से स्वीकृत प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(5) उपर्युक्त प्रस्तर-1(4) के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से स्वीकृत द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर के अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(6) प्रथम अथवा द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में यदि किसी समय बिन्दु पर किसी अधिकारी/कर्मचारी का वेतन उसे [illegible] पद के साधारण वेतनमान अथवा प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में अनुमन्य वेतन स्तर की तुलना में कम या बराबर हो जाय तो क्रमशः प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा दूसरे वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान, जैसी भी स्थिति हो, में उक्त वेतन ऐसे वेतन स्तर के अगले प्रक्रम पर पुनर्निर्धारित कर दिया जाय। इस प्रकार वेतन पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप प्रथम तथा द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि, वेतन पुनर्निर्धारण की तिथि से 12 माह की अर्हकारी सेवा के उपरान्त देय होगी।

(7) यदि किसी पदधारक को समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान दिनांक 1-1-1996 अथवा [illegible] की तिथि तक अनुमन्य हो गया हो, तो उस दशा में पुनरीक्षित वेतनमान में उसका वेतन [illegible] पद के साधारण पुनरीक्षित वेतनमान तथा पदधारक को अनुमन्य पुनरीक्षित वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में अलग-अलग, निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार वेतन निर्धारित करने पर यदि [illegible] वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में [illegible] वेतन उसके पद के साधारण वेतनमान में निर्धारित वेतन के बराबर अथवा उससे कम हो तो वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में उसका वेतन अगले प्रक्रम पर पुनर्निर्धारित कर दिया जाय।

(8) यदि कोई पदधारक पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण की तिथि (दिनांक 1-1-1996 अथवा अनुवर्ती [illegible] की तिथि) से समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ के लिये [illegible] है, तो उसे [illegible] वेतनमान अथवा पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त करने का विकल्प होगा।

(9) ऐसे मामलों में जहां [illegible] अधिकारी/कर्मचारी की पदोन्नति उसी वेतनमान में होती है, जो उसे दिनांक 1-1-1996 या उसके [illegible] से समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में मिल रहा था, तो ऐसे पद पर उसका वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 22-ए(1) में निहित प्रक्रियानुसार अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित होगा और इसमें मूल नियम 22-बी के प्राविधान लागू नहीं होंगे। [illegible] संख्या–वे० आ० नि० 35/दस-21(एम)-97, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के प्रस्तर-8(1) तथा प्रस्तर-8(2) निरस्त समझे जायें।

वृद्धिरोध वेतनवृद्धि

3–(1) ऐसे पदधारक जिनके पद के पुनरीक्षित साधारण वेतनमान का अधिकतम रु० 10500 तक है, जब अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच जायें, तो उनके वेतनमान को उसमें अन्तिम वेतन वृद्धि के बराबर तीन वेतन वृद्धियों की धनराशि जोड़ कर बढ़ा दिया जाये। यह वेतन वृद्धि सम्बन्धित पदधारक को [illegible] वेतन वृद्धि के रूप में पद के वेतनमान के अधिकतम पर [illegible]। यह वेतनवृद्धि ऐसे पदधारकों को भी अनुमन्य होगी जिन्हें वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने तक सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतन वृद्धि अनुमन्य हो चुकी हो किन्तु सम्बन्धित पदधारक द्वारा पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के उपरान्त सेवा अवधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के रूप में देय वेतनवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

(2) ऐसे पदधारक, जिनके पद के पुनरीक्षित साधारण वेतनमान का अधिकतम रु० 10500 से अधिक है, उन्हें पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के उपरान्त वृद्धिरोध वेतनवृद्धि के रूप में [illegible] 2 वर्ष बाद एक वेतनवृद्धि [illegible]। ऐसी वेतन वृद्धियों की अधिकतम संख्या 3 होगी।

(3) वृद्धिरोध वेतनवृद्धि का लाभ केवल पद के साधारण वेतनमान में अनुमन्य होगा। यह
लाभ वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला उच्च वेतनमान तथा सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान में अनुमन्य नहीं होगा।

(4) इस प्रकार अनुमन्य वृद्धिरोध वेतनवृद्धि को सम्बन्धित वेतनमान का भाग माना जायेगा।
तथा मूल नियमों के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के प्रयोजनार्थ उसे वेतन का अंग माना जायेगा।

शर्तें एवं प्रतिबन्ध

4- (1) उपर्युक्त प्रस्तर 1(2) तथा 1(4) के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान की
अनुमन्यता हेतु किसी पदधारक के लिये प्रोन्नति के पद का आशय उस पद से है जिस पर सेवा
नियमावली अथवा कार्यकारी आदेशों के आधार पर सम्बन्धित पदधारक द्वारा धारित पद से वरिष्ठता
के आधार पर प्रोन्नति का प्राविधान हो। यदि किसी पद हेतु वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु दो
या अधिक वेतनमानों में पद उपलब्ध हों तो समयमान वेतनमान के अन्तर्गत प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय
वेतनमान के रूप में पदोन्नति हेतु उपलब्ध निम्नतम पद का वेतनमान ही अनुमन्य होगा। किसी
अधिकारी/कर्मचारी को वैयक्तिक रूप से अगला वेतनमान स्वीकृत होने की दशा में उसे, वह वेतनमान
अनुमन्य होगा जो शासनादेश संख्या [illegible] दिनांक [illegible] दिसम्बर, 1997
के संलग्नक-ग पर उपलब्ध सूची के अनुसार अगला वेतनमान हो।

(2) किसी पदधारक के उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि में निम्न पद पर सेवा अवधि
के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतन वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी। यह लाभ उसे
निम्न पद पर प्रत्यावर्तन की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि पदधारक द्वारा धारित उच्च पद का
वेतनमान उसे निम्न पद पर वैयक्तिक रूप से सेवा अवधि के आधार पर देय प्रोन्नतीय/अगले
वेतनमान के समान या उससे उच्च है तो उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि में उसे निम्न पद पर
समयावधि के आधार पर वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य नहीं होगा और यह लाभ उसे
निम्न पद पर प्रत्यावर्तन की तिथि को देय होगा।

(3) संतोषजनक सेवा के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा मार्ग-दर्शक व्यवस्था
शासनादेश संख्या 761/कार्मिक-1-93, दिनांक 30 जून, 1993 में जारी की गयी है। अतः समयमान
वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि वैयक्तिक रूप से देय
प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान, सेलेक्शन ग्रेड तथा उच्च वेतनमान की अनुमन्यता हेतु संतोषजनक सेवा
का निर्धारण शासनादेश दिनांक 30-6-1993 को दृष्टिगत रखते हुए किया जाये।

(4) किसी अधिकारी/कर्मचारी को [illegible] प्रोन्नति होने की दशा में यदि वह प्रोन्नति के
पद पर जाने से इंकार करता है तो उसे उस तिथि तथा उसके पश्चात की तिथि से देय सेवा अवधि के
आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि अथवा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला
वेतनमान का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सेलेक्शन
ग्रेड/सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय
वेतनमान/अगला उच्च वेतनमान किसी पद/संवर्ग में प्रोन्नति के अवसर के अभाव को दृष्टिगत रखते
हुए प्रदान किये गये हैं, अतः वास्तविक प्रोन्नति से इंकार करने वाले कर्मचारियों के मामले में सेवा में
वृद्धिरोध नहीं माना जा सकता है।

(5) जिस कर्मचारी ने दिनांक 1-1-1996 के बाद की किसी तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान
चुना है, यदि उस कर्मचारी को सेवा अवधि के आधार पर एक वेतन वृद्धि अथवा वैयक्तिक
प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान दिनांक 1-1-1996 तथा उसके विकल्प के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान में
आने की तिथि के मध्य में देय है, तो यह लाभ उसे [illegible] वेतनमान में ही देय होगा।

(6) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत [illegible] [illegible] [illegible] लाभों में से यदि किसी
पदधारक को कोई लाभ दिनांक 1-1-1996 से पूर्व मिल चुका है तो उसे दिनांक 1-1-1996 से लागू
पुनरीक्षित वेतनमान में वह लाभ पुनः नहीं मिलेगा। उसे [illegible] देय लाभ, यदि कोई हो, ही
अनुमन्य होगा।

(7) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत एक वेतनवृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान
का लाभ देने के लिए सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी की संतोषजनक अनवरत सेवा की शर्त के परीक्षण
हेतु उसकी चरित्र पंजिका देखना होगा। [illegible] 1-1-1996 के बाद [illegible]
[illegible] की आवश्यकता नहीं होगी।
[illegible] पुनरीक्षित [illegible] करने की आवश्यकता नहीं होगी।
[illegible] अनुमन्य करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के
प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान [illegible] रूप से [illegible]
नियुक्ति प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी माने जायेंगे।

5- ऐसे पदधारक, जिनके पद का दिनांक 1-1-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान
रु० 8000-13500 या उससे अधिक है, के लिये समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था पुनरीक्षित
वेतनमान में भी दिनांक 31 दिसम्बर, 2000 तक लागू रहेगी। दिनांक 1 जनवरी, 2001 या उसके
पश्चात् पुनरीक्षित वेतनमान के पदों पर समयमान वेतनमान की व्यवस्था सम्बन्धी आदेश बाद में जारी
किये जायेंगे।

[illegible]

अवशेष के भुगतान की प्रक्रिया

6—(1) [illegible] के अन्तर्गत देय लाभ [illegible] के फलस्वरूप अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 1-1-2000 से [illegible] नकद किया जायेगा। दिनांक 1-1-1996 से दिनांक [illegible]-2000 तक की [illegible] कार्मिकों के भविष्य निधि खाते में जमा किये जायेंगे, जो दिनांक 31-3-2002 तक निकाले नहीं जा सकेंगे। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो [illegible] नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट (एन० एस० सी०) में दी जायेगी परन्तु [illegible] अंश का सर्टीफिकेट उपलब्ध न हो, वह नकद दे दी जायेगी।

(2) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों [illegible] सेवायें इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व समाप्त हो गयी हों [illegible] अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 अप्रैल, 2001 तक, [illegible] सम्पूर्ण भुगतान नकद किया जायेगा।

7—उक्त निर्णय के फलस्वरूप यदि कोई प्रभावित अधिकारी/कर्मचारी पुनरीक्षित वेतनमान चुनने के लिए पुनरीक्षित विकल्प प्रस्तुत करना चाहें तो उसे इस शासनादेश के जारी होने अथवा सम्बन्धित पदधारक को उपर्युक्तानुसार लाभ स्वीकृत करने सम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी होने की तिथि, जो भी बाद में हो, के 90 दिन के अन्दर पुनरीक्षित विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

8—(1) इस शासनादेश में जारी व्यवस्था शैक्षिक पदों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

(2) शासनादेश संख्या-वे०आ०-[illegible]-350/दस-22(एम)/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 का प्रस्तर-4 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(3) इस शासनादेश में जारी व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 एवं उसके साथ पठित अन्य शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायें।

भवदीय,

जी० के० मित्तल,

प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या-वे०आ०-2-560/दस-45(एम)-99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) [illegible] के प्रमुख सचिव/सचिव।

(2) [illegible], इलाहाबाद।

(3) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(4) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)।

(5) संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार, निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।

(6) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संख्या-वे०आ०-2-560/दस-45 (एम)-99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संख्या-वे०आ०-2-560/दस-45 (एम)-99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिव, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

आर० एस० सिंह,

विशेष सचिव, वित्त।

[illegible] 107 [illegible] 20,000 (मुद्रण/आफसेट)।

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा / सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या–1778 / आठ–5–2005

प्रेषक,

आर0एन0 सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2– उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 लखनऊ: दिनांक 24 जून, 2005

विषय:– मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 7.4.2005 को जनपद–लखनऊ के भ्रमण के दौरान की गयी घोषणाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–3 (घोषणा प्रकोष्ठ) के पत्र संख्या–371 / घोषणा / एम0एस0–23 / 2005, दिनांक 11.4.2005 की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं का अनुश्रवण करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। कृपया कृत कार्यवाही से शासन को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(शिव जनम चौधरी)
अनु सचिव।

CM-208/ 3रव-- 2-5-05

उत्तर प्रदेश शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-3
(घोषणा प्रकोष्ठ)

VS (R)

संख्या-371/घोषणा/M.S.-23/2005
लखनऊ : दिनांक- 11-4-2005

प्रमुख सचिव/सचिव,
लोक निर्माण विभाग

1092/SH/05
12-4-05

मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 07/04/2005 को जनपद लखनऊ के भ्रमण के दौरान निम्न घोषणा/ घोषणाएं की गई हैं :-

क्रमांक	घोषणा संख्या	घोषणा का विवरण
1	M.S.-23/2005 (क्र.स.- 40190312591)	समयमान वेतनमान की सुविधा की तिथि 31.12.2005 तक बढ़ायी जायेगी।
2	M.S.-23/2005 (क्र.स.- 40190312592)	6 करोड़ रुपये से अधिक कार्यभार होने पर नये खण्डों के सृजन किये जाने के संबंध में पूर्ण स्थिति पर पुनर्विचार किया जायेगा।
3	M.S.-23/2005 (क्र.स.- 40190312593)	5 वर्ष में एक बार रिफ्रेशर कोर्स हेतु अभियन्ताओं को अवश्य भेजा जायेगा। शासन ने इस संबंध में एक प्रतिशत बजट प्रशिक्षण हेतु निर्धारित किया है।
4	M.S.-23/2005 (क्र.स.- 40190312594)	अभियंत्रण सेवा संवर्गों का कैडर रिव्यू कराने के कठोर निर्देश समस्त विभागों/ विभागाध्यक्षों को तत्काल दिये जा रहे हैं।
5	M.S.-23/2005 (क्र.स.- 40190312595)	लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग में प्रतिनियुक्ति के पद सृजित हैं अन्य विभागों में विभागीय माँग की स्थिति में प्रतिनियुक्ति रिजर्व के पद सृजित किये जायेंगे।
6	M.S.-23/2005 (क्र.स.- 40190312596)	अभियंत्रण विभागों में रिक्त पदों पर समय से पदोन्नतियाँ किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।
7	M.S.-23/2005 (क्र.स.- 40190312597)	लंबित स्थायीकरण एवं विनियमितीकरण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

(रामकृष्ण यादव)
विशेष सचिव,
... नियोजन

(मदन कुमार सिंह)
अनुसचिव
... नियोजन विभाग,
... शासन

21-4-05

घोषणा संख्या	घोषणा का विवरण
H.S.-23/2005 (क्र.सं.- 40190312598)	सेवा नियमावलियों का शीघ्र प्रख्यापन किया जायेगा।
[illegible] 23/2005	सेवानैवृत्तिक देयकों का शीघ्र भुगतान [illegible] किया जायेगा।

[illegible] को कष्ट करें।

(आनन्द मिश्रा)
सचिव मुख्यमंत्री

संख्या-3[illegible]1 (1)/घोषणा/H.S.-23/2005, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1- प्रमुख सचिव, वित्त/ नियोजन विभाग/सिंचाई/ग्राम्य विकास/ नगर विकास/लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/ [illegible]/समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

(मुहम्मद अशफाक खाँ)
अनु सचिव, मुख्यमंत्री

813/211
23-6-06

संख्या 2235/आठ-5-06-1998/98

प्रेषक,

श्री के0एस0 मीना,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

उपाध्यक्ष कार्यालय
लखनऊ विकास प्राधिकरण
कम्प्यूटर संख्या 1593
दिनांक 23/6/06

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।
अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

सचिव
श्री राजीव कुमार
विशेष कार्याधिकारी (आधि.)

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 16 जून 2006

विषय : प्राधिकरण कर्मियों को समसमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय प्राधिकरणों द्वारा बिना शासन की अनुमति के अपने अधीनस्थ कार्मिकों को समसमान वेतनमान की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा इसी संदर्भ में कतिपय प्राधिकरणों द्वारा समसमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में शासन का मार्गदर्शन चाहा गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण कार्मिकों को समसमान वेतनमान अनुमन्य किये जाने का प्रकरण अभी शासन के विचाराधीन है। अतः किसी प्राधिकरण द्वारा बिना शासन की अनुमति के समसमान वेतनमान प्रदान किया जाना वित्तीय अनियमितता होगी।

भवदीय,

(के0एस0 मीना)
सचिव

उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण

श्री राजीव कुमार
विशेष कार्याधिकारी

सचिव
23/6/06

(राजीव कुमार)
विशेष कार्याधिकारी
विकास प्राधिकरण

संख्या–वे0आ0–2–627/दस–2007–41/2001टी0सी0

प्रेषक,

श्री डी0 दीप्ति विलास,

प्रमुख सचिव, वित्त–II,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक 21 जून, 2007

विषय :– वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या वे0आ0–2–560/दस–45(एम)/99, दिनांक 2 दिसम्बर, 2000 के प्रस्तर–1(2) तथा 1(4) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

"प्रस्तर–1(2)

उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की तिथि से 8 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा सहित कुल 14 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो और सम्बन्धित पद पर नियमित हो चुके हों, को प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया जाय।

ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिए प्रोन्नति का कोई पद नहीं है, उनको उस वेतनमान से विनिमला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा। परन्तु किसी संवर्ग/पद का वेतनमान सलेक्शन ग्रेड होने के फलस्वरूप यदि सम्बन्धित पद पर पूर्व से कार्यरत कार्मिकों को पद का पूर्व उच्च वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया गया हो, तो उन्हें तदनुसार अनुमन्य उच्च वैयक्तिक वेतनमान का अगला वेतनमान समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से देय होगा।

उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान देने के लिए सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के अन्तर्गत देय एक वेतनवृद्धि की तिथि से 8 वर्ष की संतोषजनक सेवा अनिवार्य है, किन्तु यदि किसी कर्मचारी को सेलेक्शन ग्रेड का लाभ पूर्व में 10 वर्ष की सेवा के आधार पर मिला हो तो उक्त प्रयोजनार्थ सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की अवधि का प्रतिबंध 4 वर्ष रखा जायेगा। उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान की अनुमन्यता हेतु अधिकारी/कर्मचारी का सम्बन्धित पद पर नियमित होना आवश्यक है। अन्य शर्तों की पूर्ति पर भी सम्बन्धित पद पर नियमित न होने की दशा में पदधारक को यह लाभ उस तिथि से ही अनुमन्य होगा, जिस तिथि से सम्बन्धित पद पर वह नियमित किया जायेगा।"

"प्रस्तर–1(4)

प्रत्येक नियमित कर्मचारी को प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में उपर्युक्त प्रस्तर–1(3) के अनुसार एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होने की तिथि से 5 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा सहित, न्यूनतम 24 वर्ष की सेवा पर वैयक्तिक रूप से द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला

वेतनमान अनुमन्य होगा। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिए प्रोन्नति का कोई पद नहीं है, उनको प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान से अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा।

2–उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 तद्नुसार इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

डी० दीप्ति विलास,

प्रमुख सचिव, वित्त-II

सं०वे०आ०-2-627(1)/दस-2007-44/2001टी०सी०, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव।

2–रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

3–उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4–संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।

5–समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6–निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7–वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग को अतिरिक्त प्रतियों सहित।

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार,

उप सचिव।

सं०वे०आ०-2-627(2)/दस-2007-44/2001टी०सी०, तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार,

उप सचिव।

सं०वे०आ०-2-627(3)/दस-2007-44/2001टी०सी०, तद्दिनांक

प्रतिलिपि विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार,

उप सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 35 सा० वित्त–30.6.2007–(609) 3000 (कम्प्यूटर/आफसेट)।

28

लेखाधिकारी/वित्त नियंत्रक,

कृपया अधिष्ठान विभाग की टिप्पणी दिनांक 05.11.2007 का अवलोकन करने का कष्ट करे। उक्त टिप्पणी में समय वेतनमान के सम्बन्ध में जारी शासनादेश दिनांक 21.06.2007 के क्रम में पत्रावली पुन: लेखा अनुभाग को भेजी गयी है। जबकि लेखा अनुभाग द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति दिनांक 08.10.2007 को दी गयी है। जिस पर तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 15.10.2007 एवं वर्तमान उपाध्यक्ष महोदय द्वारा लेखा अनुभाग की टिप्पणी को संज्ञान मे लेते हुए दिनांक 26.10.2007 को अपने निर्देश अंकित किये गये है।

अधिष्ठान विभाग द्वारा शासनादेश सं0वे0आ0-2-627/दस-2007-44/2007/टी0सी0 दिनांक 21.062007 का उल्लेख करते हुए यह अवगत कराया गया है कि वेतन समिति (97-98) की संस्तुति पर लिए गये निर्णय के अनुसार राज्य कर्मचारियों के लिए समय वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गयी है यह आदेश समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 शासन एवं समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष के लिए जारी किया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि अन्य विकास प्राधिकरण जैसे गाजियाबाद, मेरठ, इलाहाबाद में तैनात एवं इन विकास प्राधिकरणों से स्थानान्तरित होकर आये कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है। जिसके आधार पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारी ही इससे वंचित है।

अत: अधिष्ठान विभाग की उक्त आख्या दिनांक 05.11.2007 को विचारार्थ अग्रसारित करने का कष्ट करे।

सा० प्र० 1-07

(signature) 6/11/07 Acctt.

(signature) AO 6/11/07 AO.

संख्या

कृपया उपरोक्त आख्या का अवलोकन करने का कष्ट करें। गाजियाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, हापुड़-पिलखुआ, आदि विकास प्राधिकरणों में यह सुविधा अपने कार्मिकों को अपने स्रोतों से दी गई है। इन प्राधिकरणों से जो कर्मी लखनऊ विकास प्राधिकरण स्थानान्तरित होकर आये हैं उन्हें समयमान वेतनमान का लाभ लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिया जा रहा है जिस कारण यहाँ के समानान्तर कर्मचारी इस लाभ से वंचित हैं। अत: समानता के आधार पर अन्य विकास प्राधिकरणों की भाँति लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को भी समयमान वेतनमान

20

स्वीकृत करने पर विचार किया जा सकता है। इस पर होने वाला वित्तीय उपाशय का वहन प्राधिकरण द्वारा अपने स्रोत से कर लिया जायेगा।

सचिव / उपाध्यक्ष

लेखा
6/11/07

वित्त नियन्त्रक
विकास प्राधिकरण
लखनऊ

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

सचिव एवं F.C कृपया बात करें।

07/11/2007

(किशन सिंह अटोरिया)
आई ए एस
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

वार्ता हुयी
शासन को सर्वोक्ति तथा प्र. अवगत कराते हुये संदर्भित कर दिया जाये

F.C.

13/11/07
(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

उपाध्यक्ष, ल० वि० प्रा०
पत्रांक सं० 2423
दिनांक 5.11.07

1272
8/11/07

सचिव वित्त नियंत्रक
6124/F
14/11/07

14/11

(महेन्द्र प्रसाद)
वित्त नियंत्रक
ल० वि० प्रा०

सचिव-प्रथम कैम्प कार्या०
2237
15-11-07

OS/SO(E)

कृपया प्रस्तुत करें।

15.11.2007
D.See(E)

श्री राकेश

14/11/07
राजीव कुमार श्रीवास्तव
अधिकारी (अधिष्ठान)
ल० वि० प्रा०

मद संख्या

प्रस्ताव संख्या

जनपद न्यायाधीश स्तर के किसी सेवानिवृत न्यायाधीश को संविदा पर एक–एक वर्ष की अवधि के लिए रखे जाने के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नगर के सुनियोजित विकास एवं भवन निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न एजेसियों/विकासकर्ताओं तथा भूस्वामियों से अनुबन्ध आदि कार्य किया जाना है। इस प्रकिया के दौरान अनेक विधिक अड़चन एवं जटिल प्रकियात्मक बाधायें सम्भावित हैं। पूर्व में लखनऊ विकास प्राधिकरण में मुख्य विधि सलाहकार के रूप में न्यायिक अधिकारी जो कि अपर जिला जज के स्तर के थे की नियुक्ति शासन द्वारा किया गया था। वर्तमान में लखनऊ विकास प्राधिकरण में कोई विधिक सलाहकार नियुक्त नही है जबकि मुख्य विधिक सलाहकार एवं अनुसचिव विधि के पद शासन द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिये विधिवत सृजित किये गये हैं, जो रिक्त हैं। विधि सहायक एवं विधि अधीक्षक के माध्यम से विभिन्न न्यायालयों में चलने वाले मामलों की यद्यपि विधिक पैरवी करायी जा रही है लेकिन विधि विशेषज्ञ की तैनाती न होने के कारण विधिक प्रकरणों में असमंजस की स्थिति बनी रहती है। अधिकांश विधिक मामलों में विधिक राय एवं आर्बिटेशन हेतु अधिवक्ताओं पर प्राधिकरण को आश्रित रहना पडता है, जिससे अपेक्षित परिणाम एवं समयबद्ध निस्तारण प्राप्त नही हो पाता एवं प्राधिकरण पर अत्यधिक वित्तीय भार भी पडता है।

जनसूचना के अधिकार से सम्बन्धित मामलों एवं जनहित याचिकाओं की उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण प्राधिकरण पर अतिरिक्त विधिक भार पड़ रहा है। जनहित एवं विकास योजनाओं के कार्य प्रभावित न हों एवं प्राधिकरण के समक्ष विधिक बाधाऐं उत्पन्न न हों इस हेतु उचित होगा कि जनपद न्यायाधीश स्तर के किसी अधिकारी की नियुक्ति हेतु शासन से अनुरोध किया जाय। जब तक शासन स्तर से न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति न हो, तब तक संविदा के आधार पर जनपद न्यायाधीश स्तर के किसी सेवानिवृत न्यायाधीश को एक–एक वर्ष की अवधि पर रखने के लिए विचार हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के संचालक मडल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(एस०के० सिंह)
पी०सी०एस०
अपर सचिव

विषय :- **श्री बीरेन्द्र कुमार मेट (वर्कचार्ज) के पुत्र छोटू के लीवर में फोड़ा हो जाने के कारण चिकित्सा पर व्यय धनराशि रू0 29,385/- की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।**

श्री बीरेन्द्र कुमार लखनऊ विकास प्राधिकरण में वर्कचार्ज मेट के पद पर कार्यरत है, के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है कि इनके पुत्र जिसकी आयु लगभग ढाई वर्ष है, के लीवर में फोड़ा हो जाने के कारण पुत्र की चिकित्सा पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति विभाग से चाहते है।

श्री बीरेन्द्र कुमार द्वारा अपने पुत्र की उक्त चिकित्सा पर रू0 29,385/- व्यय किया गया है, जिसके भुगतान की मांग की गयी है।

प्रस्ताव :- श्री बीरेन्द्र कुमार मेट (वर्कचार्ज) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पुत्र की चिकित्सा पर हुई व्यय धनराशि रू0 29,385/- (रू0 उन्तीस हजार तीन सौ पिच्यासी मात्र) की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बोर्ड बैठक में प्रस्तुत है।

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव
अनुभाग अधिकारी (अधिष्ठान)
ल० वि० प्रा०

योगेश्वी कुमार
संयुक्त सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषयः हरदोई रोड योजना (बसन्त कुज योजना) के अन्तर्गत स्थित ग्राम बरावन कला की 17.367 हेक्टेअर भूमि का अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की हरदोई रोड योजना के लिए कुल 1355 एकड़ भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1981 में किया गया था तथा धारा 4/17 व 6/17 की अधिसूचना का प्रकाशन हुआ था। इसके उपरान्त भूमि का कब्जा लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तगत हुआ एवं अभिनिर्णय घोषित किया गया। अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर अभिनिर्णय में रु0 0.04 पैसे से रु0 0.18 पैसे प्रति वर्गफुट के बीच निर्धारित होने के कारण भूस्वामियों द्वारा लगातार अधिक प्रतिकर की मॉग की जाती रही एवं कई वर्षो तक योजना में निर्माण व विकास कार्य नहीं होने दिया। इसी बीच नगर महापालिका ट्रिव्यूनल में धारा 18 व 28–ए के वाद दाखिल होते रहे एवं कई प्रकरण में नगर महापालिका ट्रिव्यूनल द्वारा रु0 1.00 से रु0 6.00 प्रति वर्गफुट के बीच प्रतिकर की धनराशि बढ़ा दी गई।

2. योजना में विवाद समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1997 में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार हरदोई रोड योजना में समतल भूमि हेतु रु0 1.25 लाख प्रति बीघा तथा गड्ढे की भूमि के लिए रु0 75,000.00 प्रति बीघा तथा वर्ष 1991 से भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत साधारण ब्याज भुगतान करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के क्रम में योजना में भुगतान किया जा रहा है एवं विकास व निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

3. इसी योजना के अन्तर्गत ग्राम बरीकलां तथा बरावन खुर्द में नजूल की लगभग 117 एकड़ तथा कुछ अन्य चकबन्दी की भूमि के सम्बन्ध में विवाद चल रहा है, जिसके कारण इस क्षेत्र में स्थल पर विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। प्रश्नगत प्रकरण निस्तारण के लिए शासन को संदर्भित किया गया है एवं शीघ्र निस्तारण का प्रयास कराया जा रहा है।

4. हरदोई रोड योजना को बाढ़ से बचाने के उद्देश्य से गोमती नदी के दॉयी तटबन्ध पर सिंचाई विभाग द्वारा लगभग 3.30 किमी. लम्बाई में बन्धे का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। इस बन्धे के निर्माण के लिए प्राधिकरण द्वारा आवश्यक धनराशि सिंचाई विभाग को उपलब्ध करायी जानी है। निर्णय के क्रम में प्राधिकरण द्वारा सिंचाई विभाग को रु0 1.00 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित बन्धे के एलाइनमेन्ट तथा हरदोई रोड योजना में अधिग्रहीत भूमि की सीमा के बीच

एस० बी० मिश्र
संयुक्त [illegible] /वि०,
लखनऊ [illegible] प्राधिकरण
लखनऊ

ग्राम बरावन कला की 17.367 हेक्टेअर भूमि ऐसी है, जिसका अधिग्रहण प्राधिकरण द्वारा नहीं किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि हरदोई रोड योजना के अन्तर्गत मान्यवर श्री कांशीराम जी इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी हेतु 200 एकड़ भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। जिस क्षेत्र में प्रश्नगत 200 एकड़ भूमि दिये जाने का प्रस्ताव है, उसके अन्तर्गत उपरोक्त 17.367 हेक्टेअर भूमि का कुछ भाग आता है। साथ ही साथ बन्धे के एलाइनमेन्ट के लिए भी आवश्यक भूमि इसी अनार्जित भूमि की सीमा में पड़ती है।

5. हरदोई रोड योजना के बाढ़ नियंत्रण के लिए बन्धे का निर्माण आवश्यक है। बन्धे के निर्माण तथा मान्यवर श्री कांशीराम जी इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी को आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगभग 17.367 हेक्टेअर भूमि का अधिग्रहण तात्कालिकता के आधार पर किया जाना जनहित में है। इस कारण से प्रश्नगत भूमि के अधिग्रहण के लिये भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4/17 व 6/17 की अधिसूचना का प्रकाशन करके अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।

7. उल्लेखनीय है कि बन्धे के निर्माण पर व्यय होने वाली धनराशि पूरी योजना की कास्टिंग में भारित की जा चुकी है। अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि के प्रतिकर की भरपाई मान्यवर श्री कांशीराम जी इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी के लिए दी जाने वाली भूमि की लागत से हो जायेगी।

<u>प्रस्ताव</u>

उपरोक्त के दृष्टिगत जनहित में ग्राम बरावन कला की 17.367 हेक्टेअर भूमि, जिसकी स्थिति संलग्न मानचित्र में दर्शायी गई है, को तात्कालिकता के आधार पर अधिग्रहीत करने हेतु भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 4/17 व 6/17 की विज्ञप्ति का प्रकाशन करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

एस० बी० मिश्र

मधु गुप्ता

अभियन्ता ... प्राधिकरण

... विकास प्राधिकरण ... लखनऊ

Desktop\Agenda LDA Board(December-07).doc

पाल रोड
3.036 KM

विषयः लखनऊ–कानपुर रोड तथा लखनऊ–मोहान रोड के मध्य एयर पोर्ट के समीप लगभग 5000 एकड़ भूमि सुनियोजित विकास के लिए तथा लगभग 1250 एकड़ भूमि आउटर रिंग रोड के लिए अधिग्रहण के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1974 में गठन से लेकर वर्तमान समय तक विभिन्न आवासीय योजनाओं के लिए लगभग 13886 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु धारा 4/17 तथा 6/17 की विज्ञप्तियॉ समय–समय पर प्रकाशित करायी गई हैं। उपरोक्त 13886 एकड़ भूमि के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा लगभग 13154 एकड़ भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया है तथा विभिन्न आवासीय योजना के अन्तर्गत विकास व निर्माण कार्य कराया गया है। भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित विवरण 2 पृष्ठों में संलग्न किया जा रहा है <u>(संलग्नक–1)</u>।

2. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार लखनऊ की आबादी लगभग 21.23 लाख थी जो कि वर्तमान में लगभग 26 लाख ऑकलित की गई है। वर्ष 2011 में लखनऊ की आबादी लगभग 27 लाख तथा 2021 में लगभग 45 लाख प्रोजेक्टेड है।

3. आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नियोजित सेक्टर में लखनऊ विकास प्राधिकरण, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा निजी विकासकर्ताओं द्वारा योगदान दिया जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा निजी क्षेत्र के योगदान को सम्मिलित कर लिया जाये तो प्रतिवर्ष अधिकतम 6000 आवास इकाईयॉ उपलब्ध हो पा रही हैं एवं आवास की मॉग को दृष्टिगत रखते हुए सार्टफाल लगातार बढ़ता हा रहा है।

4. वर्तमान में प्राधिकरण के पास गोमती नगर विस्तार योजना में लगभग 661 एकड़ भूमि तथा वसन्त कुॅज हरदोई रोड योजना में लगभग 110 एकड़ भूमि का ही लैण्ड बैंक बचा है। यदि इस भूमि पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जाये तो कुल लगभग 7500 आवासीय इकाईयॉ ही उपलब्ध हो सकेंगी। स्पष्ट है कि नगर की आवासीय मॉग को दृष्टिगत रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लैण्ड बैंक सृजित करके सुनियोजित विकास करने की नितान्त आवश्यकता है।

5. वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा प्रबन्ध नगर आवासीय योजना भाग–1 के अन्तर्गत लगभग 470.044 एकड़ तथा भाग–2 के अन्तर्गत लगभग 330.172 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु धारा–4 की अधिसूचना जारी करायी गई है एवं धारा 5 के अन्तर्गत सुनवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रबन्ध नगर आवासीय योजना भाग–3 के अन्तर्गत लगभग 276.117 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तैयार

(एस० के० त्रिपाठी) ...अभियन्ता ... लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ।

एस० बी० मिश्र ... /वि० ... प्राधिकरण लखनऊ

... गुप्ता ... –अर्जन लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

कराया जा रहा है। इस प्रकार प्रबन्ध नगर आवासीय योजना में सम्पूर्ण भूमि अधिग्रहीत होने के उपरान्त आगामी 10 वर्षो में लगभग 20000 आवास इकाईयॉं सृजित हो सकेंगी। इस प्रकार कुल सृजित होने वाली आवास इकाइयॉं आगामी 15–20 वर्षो के लिए अपर्याप्त होगी।

6. उपरोक्त के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा शहर के अन्य क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार करके सुनियोजित विकास के अन्तर्गत आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

7. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विगत वर्षो में विकसित की गयी आवासीय योजनाओं के माध्यम से नगर की आवासीय मॉग की पूर्ति का प्रयास किया गया है वर्तमान परिदृश्य में शहर के आर्थिक विकास को गति देने के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के साथ–साथ रोजगार उपलब्ध कराने वाले अन्य उद्यमों को भी प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। इसे दृष्टिगत रखते हुए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के साथ–साथ रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अन्य उद्यमों जैसे आई.टी, आई.टी.ई.एस., टेक्सटाइल (फैशन टेक्नालोजी), नालेज पार्क, मेडीसिटी आदि के लिए विशेष 'डेडीकेटेड' सेक्टर्स के साथ–साथ आवासीय विकास कराया जाए। उल्लेखनीय है कि आई.टी/आई.टी.ई.एस., टेक्सटाइल, चिकन आदि हस्तशिल्प, नालेज पार्क, मेडीसिटी आदि में भी आवासीय एककों का सृजन होगा तथा आर्थिक सुदृढ़ता के साथ–साथ 'सस्टेन्ड' विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

8. विगत दिनों शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कराया गया है। लखनऊ–कानपुर रोड तथा लखनऊ–मोहान रोड के बीच एयर पोर्ट से लगभग 4 किमी. की दूरी पर एक काफी बड़ा क्षेत्र है, जिसमें अधिकतर भूमि का उपयोग आवासीय तथा कुछ भूमि का उपयोग कृषि है। प्रश्नगत क्षेत्र को लखनऊ मास्टर प्लान की संलग्न प्रति में दर्शाया गया है **(संलग्नक–2)**। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 5000 एकड़ है। यह क्षेत्र एयरपोर्ट के समीप स्थित होने के साथ–साथ एन.एच.ए.आई. द्वारा विकसित लखनऊ–कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट होने तथा प्रस्तावित आउटर रिंग रोड पर स्थित होने के कारण आवासीय कालोनी, आई.टी, आई.टी.ई.एस., टेक्सटाइल (फैशन टेक्नालोजी), नालेज पार्क, मेडीसिटी आदि से सम्बन्धित उद्यमियों को विकसित करने हेतु उपयुक्त है।

9. उक्त परियोजना में आई.टी/आई.टी.ई.एस, टेक्सटाइल, ट्रेडीशनल क्राफ्ट, नालेज पार्क, मेडीसिटी व आवासीय विकास का प्रस्ताव है। उपयुक्त होगा कि परियोजना के लिये भूमि अधिग्रहण के इस प्रारम्भिक स्तर से ही इसके विकास व निस्तारण में इसी स्तर पर निजी विकासकर्ताओं को इस पूरी प्रक्रिया में सम्बद्ध किया जाए। इससे परियोजना का उच्च स्तरीय स्वरूप निर्धारित किया जा सकेगा। साथ ही साथ विकास समयबद्ध रूप से पूर्ण हो सकेगा।

10. लखनऊ नगर के अन्तर्गत यातायात के दबाव को कम करने के उद्देश्य से महायोजना–2000 के अनुसार आउटर रिंग रोड का भी निर्माण किया जाना आवश्यक है। यह रिंग रोड लगभग 80 किमी. लम्बी प्रस्तावित है, जिसे 8 लेन

चौड़ाई में बनाया जाना आवश्यक है। इस हेतु लगभग 1250 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना होगा।

11. नगरीय प्रभार के साथ बढ़ती आवासीय इकाईयों की मॉग व इनकी उपलब्धता में अन्तर निरन्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे नगर में अनियोजित तथा अनाधिकृत कालोनियां बनती जा रही है। इस परियोजना के लिये चिन्हित किया गया क्षेत्र हवाई अड्डा के निकट है तथा नगर के विकसित क्षेत्र से लगा हुआ है। अतः अधिग्रहण की कार्यवाही यदि तत्काल नही की जाएगी तो इस भूमि पर भी अनाधिकृत रूप से कालोनियां बस जाएगी। अतः यह आवश्यक है कि भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–17 को प्रभावी किया जाए, जिससे तत्काल अधिग्रहण की कार्यवाही की जा सके।

12. प्रश्नगत भूमि का अधिग्रहण यथासम्भव करार नियमावली के अन्तर्गत आपसी समझौते के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है। आपसी समझौते के आधार पर भूमि प्राप्त होने पर उसका कब्ज अभिनिर्णय घोषित कराकर प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है।

13. उपरोक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत क्षेत्र में सुनियोजित विकास प्रस्तावित करने के उद्देश्य से भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4/17 व 6/17 की अधिसूचना प्रकाशित कराने की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

<u>प्रस्ताव</u>

उपरोक्त के दृष्टिगत ग्राम कनौसी, सरोसा, भरोसा, खुशहालगंज, मुज्जफर खेड़ा, बेगम खेड़ा, लोखरिया खेड़ा, हरदोईया, लाल नगर, बरकताबाद आदि तहसील, परगना व जिला लखनऊ की लगभग 5000 एकड़ भूमि तथा आउटर रिंग रोड हेतु लगभग 1250 एकड़ भूमि अधिग्रहीत करने हेतु भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4/17 व 6/17 की विज्ञप्ति प्रकाशित कराने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

(एस० के० मिश्रा)
लखनऊ विकास प्राधिकरण

एस० बी० मिश्र
संयुक्त सचिव/वि०
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

पप्पू गुप्ता
डिप्टी कलेक्टर-अर्जन
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

... योजनाओं हेतु अधिग्रहीत भूमि तथा प्रतिकर का विवरण

प्रपत्र-संदर्भ तिथि: 30.11.2007

		कुल अर्जित भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	अभिनिर्णय में घोषित भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	अभिनिर्णय में घोषित कब्जा प्राप्त भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	कब्जा हेतु अवशेष भूमि (एकड़ में)	अभिनिर्णय के अनुसार देय धनराशि ब्याज अति0 अति0 प्रतिकर सोलेशियम सहित दि0 31.03.2003 (लाखों में)	धारा-18 के अन्तर्गत देय डिक्रीटल धनराशि (लाखों में)	धारा-28ए के अन्तर्गत देय डिक्रीटल धनराशि (लाखों में)	मा0 उच्च न्याया0 में दायर अपीलों की संख्या	मा0 उच्च न्याया0 में दायर अपीलों में निर्णय की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सीतापुर रोड योजना	1527.27	1527.27	1527.27	-	1575.00	73.95	-	36	-
2.	सीतापुर(टिम्बर नगर)	123.00	121.87	121.87	-	364.00	208.98	-	3	-
3.	हरदोई रोड योजना	1355.97	1355.97	1355.97	-	263.00	17.11	18.00	4	
4.	कानपुर रो0यो0भाग-1	565.31	470.10	470.10	-	482.00	255.59	-	74	
5.	कानपुर रो0यो0भाग-2	504.94	450.94	450.94	-	1038.00	299.19	-	28	-
6.	कानपुर रो0यो0भाग-3	1632.00	1289.30	1289.30	-	1555.00	565.13	158.00	56	-
7.	कानपुर रो0यो0भाग-4	1324.73	1266.10	1266.10	-	1700.44	18.09	5055.00	7	13.02.95
8.	कानपुर रो0यो0भाग-5	81.43	12.40	12.40	-	175.00	-	-	-	-
9.	उजरियाँवआ0यो0भाग-1	969.78	941.10	941.10	-	2063.00	128.82	-	9	-
10.	उजरियाँवआ0यो0भाग-2	1776.02	1776.02	1776.02	-	2074.00	51.63	-	8	-
11.	उजरियाँवआ0यो0भाग-3	271.11	260.78	260.78	-	1108.00	-	-	-	-
12.	उजरियाँवआ0यो0भाग-5	119.43	119.43	119.43	-	856.000	-	-	-	-
13.	अलीगंज योजना	923.00	817.15	817.15	-	708.10	106.78	-	1	-
14.	भवानी आ0 योजना	4.71	4.71	1.78	2.93	03.59	-	-	-	-
15.	टिकैतराय यो0भाग-2	34.89	20.66	20.66	-	183.00	-	-	-	-
16.	सलेज फार्म	982.00	982.00	982.00	-	205.00	-	-	-	-
17.	द्वितीय वाटर वर्क्स	37.00	37.00	37.00	-	80.00	-	-	-	-
18.	उमराव टाकिज यो0	1.40	1.40	1.40	-	121.05	-	-	-	-
19.	अमर शहीद पथ	1146.00	-	1146	-	11489.00	-	-	-	-
20.	गोमती नगर वि0 1ए	506.41	-	506.41	-	6081.49	-	-	-	-
21.	अन्य योजना	51.50	50.29	50.29	-	189.50				
	योग	13886.31	11504.49	13154.72	2.93	32313.54	1725.27	5231.00	226	-

नोटः भवानी आवासीय योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि पर निर्माण स्थित होने के कारण 2.93 एकड़ भूमि पर मा0 उच्च न्यायालय का स्थगनादेश है एवं कब्जा नहीं दिया गया।

[illegible] न्याया0 में दायर एस.एल.पी.	स्तम्भ-7 में दर्शायी गई धनराशि के विरूद्ध वितरित धनराशि अ0जि0अ0 के अनुसार (लाखों में)	अवशेष बकाया प्रतिकर की धनराशि (लाखों में)	भुगतान की गई डिक्रीटल धनराशि			डिक्रीटल धनराशि धारा-28ए के विरूद्ध जमा धनराशि (लाखों में)	धारा-28ए के निर्णय के विरूद्ध मा0 उच्च न्याया0 द्वारा स्थगित धन0 (लाखों में)	धारा-18 में अवशेष धनराशि (लाखों में)	धारा-28ए के अवशेष धनराशि (लाखों में)	कुल देय डिक्रीटल धनराशि (18+28ए) (लाखों में)	कुल देय प्रतिकर धनराशि (14+16+18) (लाखों में)
			धारा-18 में अ0जि0अ0 को उपलब्ध कराई गई धनराशि (लाखों में)	धारा-18 में पारित निर्णय के विरूद्धमा0 उच्च न्याया0 में जमा धन0 (लाखों में)	धारा-18 में पारित निर्णय के विरूद्धमा0 उच्च न्याया0 द्वारा स्थगित ध0(लाखों में)						
12	13	14	15	15अ	15ब	16	16अ	17	18	19	20
-	1575.00	-	72.18	35.33	35.33	-	-	-	-	-	-
-	364.00	-	-	156.73	156.73	-	-	-	-	-	-
-	175.00	88.00	-	17.11	-	-	18.00	-	-	-	88.00
-	482.00	-	156.08	220.35	220.35	-	-	-	-	-	-
-	1038.00	-	-	199.94	112.55	-	-	-	-	-	-
-	1555.00	-	-	662.70	662.70	-	158.00	-	-	-	-
1	1700.44	-	-	34.20	18.09	2094.96	2960.04	-	-	-	-
-	151.00	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
-	1973.00	90.00	8.5	72.10	50.47	-	-	-	-	-	90.00
-	2009.00	65.00	-	141.21	141.21	-	-	-	-	-	65.00
-	936.42	171.58	-	-	-	-	-	-	-	-	171.58
-	856.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	708.10	-	106.78	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	162.00	21.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00
-	180.00	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00
-	48.00	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32.00
-	121.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10010.00	1479.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1479.00
-	6081.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	158.50	31.00	-	-	-	-	-	-	-	-	31.00
	30287.59	**2025.95**	**343.54**	**1539.67**	**1397.43**	**2094.96**	**3136.04**	-	-	-	**2025.95**

नोटः- अमर शहीद पथ गोमती नगर योजना व गोमती नगर विस्तार योजना भाग-1ए मे अभिनिर्णय घोषित नही हुआ है, वरन् धारा 11(2) के अनुसार आपसी समझौते से प्रतिकर का भुगतान किया जा रहा है।

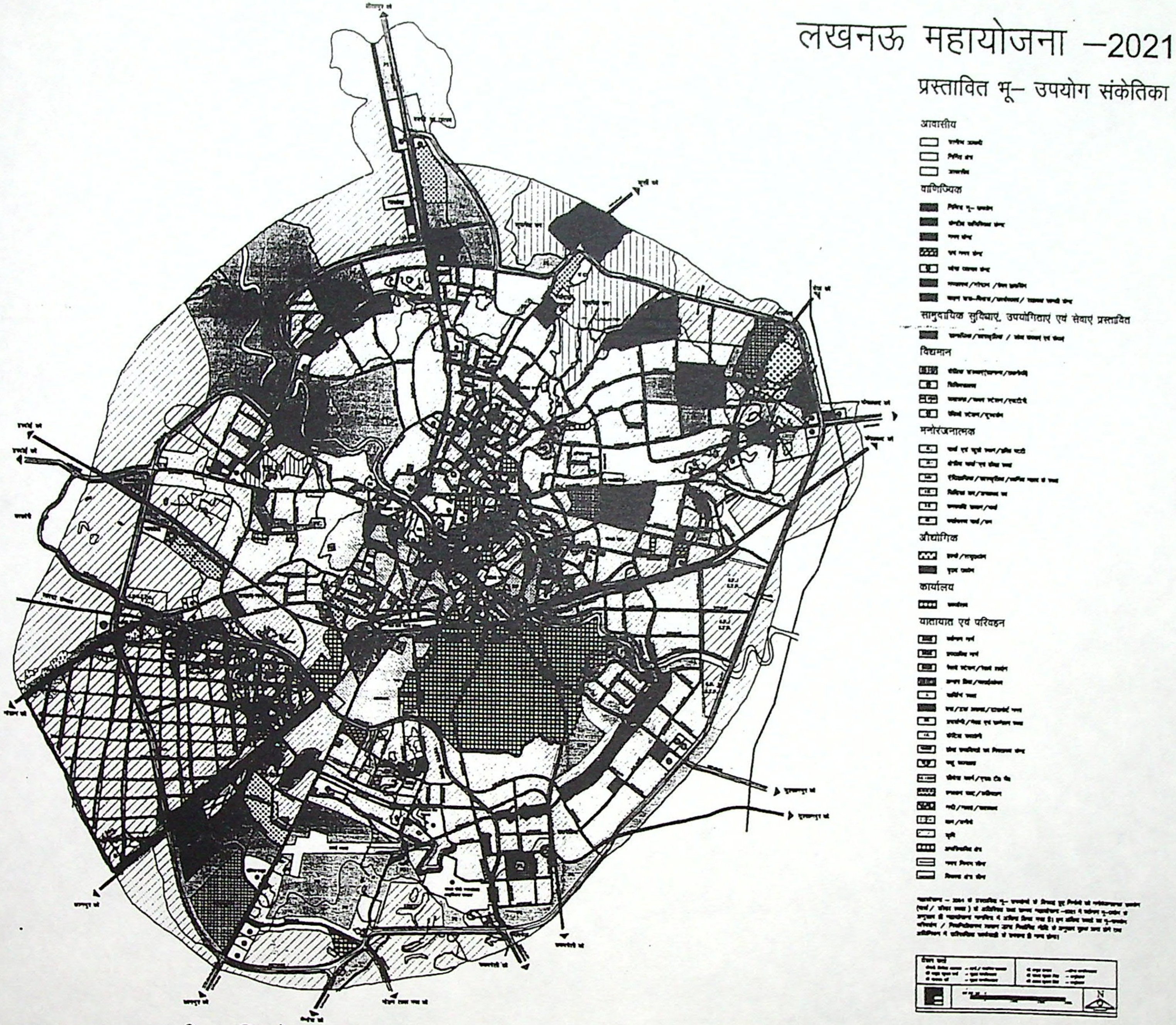

लखनऊ सम्भागीय नियोजन खंड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
उत्तर –प्रदेश

विषय:सोलर वाटर हीटिंग संयंत्रों के मानकों को लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रस्तावित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समाविष्ठ करने के संबंध में।

भारत वर्ष जैसे विकासशील देश व उत्तर प्रदेश में उर्जा की उत्पादन क्षमता में तीव्र वृद्धि के वावजूद उर्जा की माँग निरन्तर बढ़ रही है, जिसके कारण देश तथा प्रदेश में उर्जा की कमी बनी हुई हैं। उर्जा की माँग तथा आपूत्ति में विद्यमान कमी को सामान्तया उर्जा के नये एवं नवीकरणीय श्रोतों एवं विशेष रूप से सौर उर्जा का उपयोग कर पूर्ण किया जा सकता है। सौर उर्जा प्रदूषण मुक्त एवं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा शासनादेश संख्या-3894/9-आ-1-29विविध/98(आ.ब.), दिनांक 09.08.2004 जारी करते हुए प्राधिकरण से भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2000 में समाविष्ट करने की अपेक्षा की गयी है। उक्त शासनादेश के अनुसार 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवन, अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल, अतिथि गृह, विश्राम गृह, छात्रावास, महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/प्राविधिक संस्थाएं/प्रशिक्षण केन्द्र, सशस्त्र बल/अर्द्ध सैनिक बल, पुलिस बल के बैरक, सामुदायिक केन्द्र, बैंक्वेट हाल, बारात हाल तथा इसी प्रकार के अन्य भवनों में सोलर वाटर हीटिंग संयत्र स्थापित किया जाना अनिवार्य किया गया है। (शासनादेश की प्रति संलग्न है।)

प्रस्ताव:

अतः उपरोक्तानुसार विभिन्न प्रकार के भवन निर्माण की स्वीकृति में सोलर वॉटर हीटिंग संयत्रों की स्थापना एवं इस हेतु मानको से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-3894/9-आ-1-29विविध/98(आ.ब.), दिनांक 09.08.2004 को अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है, बोर्ड की अनुमति के पश्चात शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जायेगा

प्रेषक, संख्या– 3894/9–आ–1–29विविध/98 (

जे.एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1

लखनऊ दिनांक 9 अगस्त, 2004

विषयः सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र की स्थापना हेतु मानक उपविधि।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि भारतवर्ष जैसे विकासशील देश में ऊर्जा की उत्पादन क्षमता में तीव्र वृद्धि बावजूद ऊर्जा की मांग निरन्तर बढ़ रही है जिसके कारण देश तथा प्रदेश में ऊर्जा की कमी बनी हुई है। ऊर्जा की मांग तथा आपू में विद्यमान गैप को सामान्यतः ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय (Renewable) स्रोतों एवं विशेष रूप से सौर ऊर्जा का उपयोग क पूर्ण किया जा सकता है। सौर ऊर्जा चूंकि प्रदूषणमुक्त एवं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अतः भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा आधारि सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर बल दिया जा रहा है। उक्त सिस्टम की स्थापना हेतु मान विशिष्टियों के साथ–साथ ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैन्डर्ड्स द्वारा इण्डियन स्टैन्डर्ड्स भी निर्धारित किए जा चुके हैं।

2. अतएव, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के गैप को पूर्ण करने हेतु अपारम्परिक ऊ स्रोतों को प्रोत्साहन दिया दिया जाना अपरिहार्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कतिपय कार्यात्मक भवनों (Functional Building में सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा जारी "माडल बिल्डिंग बाई–लॉज" के आधार पर नि मानक उपविधि तैयार की गई है जिसे शासन द्वारा विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में अध्याय–12 रूप में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया हैः–

12.1 "निम्न प्रकृति के किसी भी प्रस्तावित भवन निर्माण में पानी गर्म करने हेतु सोलर वाटर हीटर संयन्त्र स्थापित कि जाएगा :–

(i) अस्पताल तथा नर्सिंग होम

(ii) होटल

(iii) अतिथि गृह

(iv) विश्राम गृह

(v) छात्रावास

(vi) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/प्राविधिक संस्थाएं/प्रशिक्षण केन्द्र

(vii) सशस्त्र बल/अर्द्ध–सैनिक बल एवं पुलिस बल के बैरक

(viii) सामुदायिक केन्द्र, बैंक्वेट हाल, बारातघर तथा इसी प्रकार के उपयोग के अन्य भवन।

(ix) 500 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवन।

12.2 उक्त प्रकृति के भवनों में निर्माण अनुज्ञा तभी देय होगी जबकि भवन के डिजाइन में छत से विभिन्न वितरण स्थलों तक, जहां गर्म पानी की आवश्यकता हो, तापरोधक पाइपों का प्राविधान हो एवं भवन की छत पर सोलर वाटर हीटर संयन्त्र हेतु उपयुक्त स्थान हो। छत की लोड बियरिंग क्षमता न्यूनतम 50 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर होनी चाहिए तथा भवन की छत पर संयन्त्र की स्थापना हेतु खुला स्थान उपलब्ध होना चाहिए जिससे सूर्य की रोशनी सीधे प्राप्त हो सके।

12.3 संयन्त्र की क्षमता एवं मानदण्ड : स्नानागार एवं रसोईघर हेतु सोलर वाटर हीटर से पानी गर्म करने के संयन्त्र की न्यूनतम क्षमता 25 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति होनी चाहिए बशर्ते छत का अधिकतम 50 प्रतिशत भाग ही सौर ऊर्जा संयन्त्र के उपयोग में लाया गया हो।

12.4. विशिष्टियां : सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र एवं प्रणाली "ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैण्डर्ड" (B.I.S.) विशिष्टि I.S. 129333 के अनुरूप होनी चाहिए तथा जहां कहीं भी जब लगातार गर्म पानी की आवश्यकता हो, तो वहां सौर ऊर्जा प्रणाली के साथ पानी गर्म करने हेतु बिजली अथवा अन्य व्यवस्था का प्राविधान किया जा सकता है।"

3. कृपया भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में उपर्युक्त मानकों के समावेश हेतु बोर्ड बैठक में प्रस्ताव अंगीकृत कराकर एक माह के अन्दर शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित करने का कष्ट करें। यदि बोर्ड बैठक आयोजित होने में विलम्ब हो तो परिचालन द्वारा प्रस्ताव पारित कराने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र
सचिव

<u>संख्या 3894(1)/9–आ–1–29विविध/98 (आ.ब.) तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अध्यक्ष, उ.प्र., आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ।
3. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर भारतीय सहकारी आवास निगम, लखनऊ।
6. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

710/AP/07
26-11-07

सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या : 4436/आठ–1–07–138विविध/07

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार गोयल
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2 उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3 अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनॉक : 15 नवम्बर, 2007

विषय :– सोलर वाटर हीटिंग संयंत्रों के मानकों को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समाविष्ट करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या : 3894/9–आ–1–29विविध/98(आ.ब.), दिनॉक 09.08.04 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से यह निर्देश दिया गया था कि उपर्युक्त शासनादेश में चिन्हित भवनों में सोलर वाटर हीटिंग संयंत्रों की स्थापना हेतु निर्धारित मानकों को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समावेश करने हेतु बोर्ड बैठक में प्रस्ताव अंगीकृत कराकर शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाय, किन्तु इस संबंध में प्राधिकरण/परिषद बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव शासन में प्राप्त नहीं हुआ है।

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सोलर वाटर हीटिंग संयंत्रों के मानकों को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समाविष्ट करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना/आख्या शासन को एक पक्ष के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(राजेन्द्र कुमार गोयल)
विशेष सचिव

सचिव
उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण

28/11/07
A-P

विषय संख्या: 11   पृष्ठ संख्या: 45

विषय:स्टेशन रोड (हुसैनगंज क्रासिंग से के0के0सी0 कालेज तक) स्थित भूमि का भू-उपयोग बाजार स्ट्रीट से व्यवसायिक किए <u>जाने के संबंध में।</u>

स्टेशन रोड के इस भाग में स्थित भूखण्डों के भू-स्वामियों द्वारा अपने पत्र दिनांक शून्य (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा स्टेशन रोड स्थित भूखण्डों को बाजार स्ट्रीट से बदल कर व्यवसायिक करने का अनुरोध किया गया है। उक्त हेतु उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मार्ग पर विगत 25 वर्षो से बहुमंजिले भवन निर्मित है, जिनमें कोहिनूर होटल, पी.सी.एफ. भवन, विकासदीप, चिन्टल्स हाउस, सुनिल ऑटो आदि प्रमुख है। यह समस्त भवन पूर्णतः व्यवसायिक प्रकृति के है। वर्तमान में इस सड़क के दोनों ओर बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित की गयी है, जिस कारण भूमि का समुचित उपयोग नही हो रहा है। बाजार स्ट्रीट में भू-आच्छादन 40 प्रतिशत तथा एफ.ए.आर 1.2 अनुमन्य है, जबकि व्यवसायिक क्षेत्रों में अधिकतम् भू-आच्छादन 50 प्रतिशत तथा अधिकतम् एफ.ए.आर. 2.0 अनुमन्य है।

सड़क के इस भाग का भौतिक निरीक्षण किया गया जिससे स्पष्ट हुआ कि इस भाग में अधिकांश भूखण्डों पर निर्माण हो चुका है तथा व्यवसायिक क्रियाएं चल रही है। कोहिनूर होटल, पी.सी.एफ. भवन, विकासदीप, चिन्टल्स हाउस, सुनिल ऑटो आदि बहुमंजिले भवन निर्मित है, किन्तु कुछ भूखण्ड वर्तमान में भी आवासीय उपयोग में ही लाये जा रहे है।

<u>**प्रस्तावः**</u>

अतः क्षेत्रीय व्यक्तियों के अनुरोध पत्र के साथ हुसैनगंज क्रासिंग से के0के0सी0 कालेज तक स्टेशन रोड के दोनों ओर स्थित भूखण्डों को बाजार स्ट्रीट से व्यवसायिक किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

Anyal

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषय : स्टेशन रोड का भू–उपयोग बाजार स्ट्रीट से व्यवसायिक किये जाने हेतु तथा सड़क का और चौड़ीकरण(24 मी0 से 45 मी0) न करने हेतु।

महोदय,

निवेदन है कि हम प्रार्थीगण स्टेशन रोड, लखनऊ के निवासी है। महायोजना–2021 में स्टेशन रोड की दोनो पट्टी(हुसैनगंज चौराहे से के0के0सी0 तक) बाजार स्ट्रीट के रूप में दर्शित है। उक्त मार्ग के दोनों तरफ विगत 25 वर्षो से व्यवसायिक गतिविधियाँ जैसे कि होटल गंगा मैय्या, कोहिनूर होटल, रेलवे आफिस, पेट्रोल पम्प, पी0सी0 एफ0(सरकारी कार्यालय), विकास प्राधिकरण कार्यालय, विकास दीप, सुनील आटो, गुरप्रीत हाउस, चिन्टल हाउस, मदन प्लाजा तथा अन्य व्यवसायिक काम्पेलक्स विद्यमान है।

उक्त कार्य–कलाप पूर्णतया व्यवसायिक भू–उपयोग की श्रेणी के अन्तर्गत आते है, अतः बाजार स्ट्रीट की अनुमन्यता जिसमें कि अनावश्यक कई प्रतिबंध है, से हम स्टेशन रोड निवासियों का नुकसान हो रहा है तथा स्वतंत्र रूप से विधिक स्वीकृति प्राप्त कर व्यवसायिक निर्माण नही कर पा रहे है। लखनऊ महायोजना–2021 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार व्यवसायिक क्षेत्रों में अधिकतम 50 प्रतिशत भू–आच्छादन तथा अधिकतम एफ0ए0आर0 2.0 है, जबकि बाजार स्ट्रीट में अधिकतम भू–आच्छादन 40 प्रतिशत तथा एफ0ए0आर0 अधिकतम 1.2 ही है। इस प्रकार उपरोक्त उपविधि व महायोजना प्राविधानों के कारण स्टेशन रोड जैसे महत्वपूर्ण रोड पर स्थिति भूमि का समुचित प्रयोग नही हो पा रहा है।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि स्टेशन रोड का भू–उपयोग बाजार स्ट्रीट से बदल कर व्यवसायिक करने की कृपा करें तथा स्टेशन रोड को और चौड़ा न किया जाए क्योंकि कुछ वर्षो पहले ही चौड़ीकरण किया जा चुका है और वर्तमान में के0के0सी0 से हुसैनगंज तक किसी प्रकार का कोई अवरोध यातायात में नहीं होता है, इस हेतु हम प्रार्थिगण आपके सदैव आमारी रहेंगें।

धन्यवाद।

भवदीय

(5) विजय प्रकाश सिंह त्रिवेदी
[illegible] 21 - स्टेशन रोड लखनऊ

(7) [illegible] कुमार
21 स्टेशन रोड लखनऊ

(8) अजित कुमार जैन [signature: AJain]
10, स्टेशन रोड लखनऊ
~~रघुवर प्रसाद~~
~~इरफान [illegible]~~

(9)

(10) Sudhir Sleeps House
8th Station Road 2.1.C.o [signature]

(11) - 8 Station Road, Heer Hardy Repairing centre · [illegible]

(12) - 8, Station Road, SAI COMMUNICATIONS - [signature]

(13) - Hotel Ganga Maiya · 62/9 · Station Road Lucknow.
[signature]

(14) 3 स्टेशन रोड हुसैनगंज, भगोती मोटर साइकिल [illegible] गोविंद

(15) 4 स्टेशन रोड हुसैनगंज [illegible]

(16) Bhargava P.C.O 3-Station Road, Lucknow [signature]

(17) S.K. JAISWAL 18 Station Road Lucknow

Ajeesh Kr Jaiswal 18, Station Road, Lucknow. Ajeesh Kumar..

48

भाग–5

भू– आच्छादन एवं एफ. ए. आर.

3.5.1 भू–आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के मानक

(I) विभिन्न उपयोगों हेतु अधिकतम भू–आच्छादन तथा एफ. ए. आर. निम्नवत् होगा :–

क्रमांक	उपयोग समूह	भू-आच्छादन (प्रतिशत)	एफ. ए. आर.	निःशुल्क इकाईयाँ (संख्या)	अतिरिक्त इकाईयाँ (संख्या)	कुल इकाईयाँ (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आवासीय (प्लाटेड) भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)					
	• 50 तक	75	2.0	2	–	2
	• 51–100 तक	75	2.0	2	1	3
	• 101–300 तक	65	1.75	3	2	5
	• 301–500 तक	55	1.50	4	2	6
	• 500 से अधिक	45	1.25	4	4	8
2.	व्यवसायिक					
	(क) आवासीय क्षेत्र में					
	(i) सुविधाजनक दुकानें	60	1.2			
	(ii) विपणन केन्द्रॅअन्य शापिंग केन्द्र					
	(ख) बाजार स्ट्रीट	40	1.2			
	(ग) महायोजना में चिन्हित वाणिज्यिक क्षेत्र	40	1.2			
	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)					
	• 500 तक	50	1.5			
	• 500–1000	40	1.75			
	• 1000 से अधिक	30	2.0			
3.	कार्यालय	40	1.5			
		अथवा				
		30	2.0			

चिन्हित मार्गो की विस्तृत योजनायें तैयार न हो सकने के फलस्वरूप मार्गो के साथ–साथ व्यवसायिक विकास तो हुआ किन्तु उनका स्वरूप बाजार मार्ग की अवधारणा के अनुरूप नहीं हुआ जिसके कारण यातायात की समस्यायें मार्गो पर व्यवसायिक कियाओं की सघनता के कारण और बढ़ी।

विभिन्न अभिकरणों द्वारा विकसित आवासीय कालोनियां/ स्वीकृत तलपट के आधार पर विकसित क्षेत्रों /विकासशील क्षेत्र के मार्गो को बाजार मार्ग के रूप में चिन्हित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इनका विकास नियोजित रूप में हुआ है तथा व्यवसायिक एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं/ सेवाओं हेतु प्राविधान योजना के अन्तर्गत किए गए हैं।

उपरोक्त समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक है कि पूर्व में चिन्हित बाजार मार्गो को ही निम्न प्राविधानों एवं शर्तो के साथ महायोजना– 2021 में समायोजित किया जाये:

- मार्गो के साथ स्थित सामुदायिक सुविधायें जैसे– शिक्षा/स्वास्थ्य सुविधायें, मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च, पार्क एवं राजकीय/ अर्द्ध राजकीय/ स्थानीय निकाय कार्यालय को व्यवसायिक उपयोग के अंतर्गत नहीं माना जायेगा।
- जो मार्ग आंशिक रूप से लखनऊ विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद या किसी अन्य अभिकरण द्वारा विकसित हैं तथा संलग्न भूखण्ड आवासीय उपयोग हेतु आवंटित है, का भू–उपयोग व्यवसायिक नहीं माना जायेगा।
- बाजार मार्ग का मार्गाधिकार क्षेत्र न्यूनतम 18 मी0 अथवा महायोजना में प्रस्तावित चौडाई जो भी अधिक हो, मानी जायेगी।
- विभिन्न मार्गाधिकारों पर स्थित भूखण्डों पर व्यवसायिक उपयोग की गहराई प्रस्तावित मार्गाधिकार के बराबर अथवा 1 जनवरी, 2005 को भू–स्वामी द्वारा अपने स्वामित्व में भूमि की गहराई की सीमा (जो भी कम हो) तक मानी जायेगी।
- बाजार मार्गो पर व्यवसायिक निर्माण/ विकास निम्नानुसार ही अनुमन्य होगा :

मार्गो की प्रस्तावित चौडाई (मीटर)	सामने न्यूनतम खुला स्थल (मीटर)	आर्केड (मीटर)	मार्ग के मध्य से अनुमन्य व्यवसायिक उपयोग की अधिकतम गहराई (मीटर)
18	4	3	27
24	6	3	36
30	9	3	45
45	12	3	67.5
76	18	3	114

टिप्पणी :

- अधिकमत अनुमन्य भू–आच्छादन एवं तल क्षेत्रानुपात कमशः 40 प्रतिशत एवं 1.2 होंगे।
- बेसमेंट अनुमन्य नहीं होंगे।
- भवनों की अधिकतम ऊंचाई 12.5 मीटर होगी।
- आर्केड का प्रथम तल पर आच्छादन अनुमन्य नहीं होगा।
- पार्किंग हेतु कुल आच्छादन के अनुसार प्राविधान आवश्यक होंगे।
- व्यवसायिक उपयोग भूतल एवं प्रथमं तल तक ही अनुमन्य होंगे।

चिन्हित बाजार मार्ग निम्नवत् हैं (बाजार मार्ग महायोजना 2001 के मानचित्र के अनुसार) :–

1. फैजाबाद मार्ग (कुकरैल बाँध से राजकीय पॉलीटेक्निक तक)
2. विधान सभा मार्ग (हुसैनगंज चौराहे से रॉयल होटल तक)
3. अशोक मार्ग (प्रस्तावित हजरतगंज केन्द्रीय वाण्जियक आस्थान से राणा प्रताप मार्ग तक)
4. शाहनजफ मार्ग (हजरतगंज केन्द्रीय वाणिज्यक क्षेत्र से राणा प्रताप मार्ग तक)
5. रेलवे स्टेशन मार्ग (हुसैनगंज चौराहे से के0के0 कालेज चौराहे तक)
6. आलमबाग – तालकटोरा मार्ग (टेढ़ी पुलिया से शारदा नहर तक)
7. विशेश्वर नाथ मार्ग (कैसरबाग चौराहे से रॉयल होटल चौराहे तक)
8. तुलसींदास मार्ग (चौक चौराहा से गाज़ीउद्दीन हैदर नहर तक)
9. कुर्सी मार्ग (रैदास मन्दिर रेलवे समपार से अलीगंज सेक्टर जी स्थित पेट्रोल पम्प)
10. निशातगंज (निशातगंज चौराहा से गोमती नदी सेतु तक)
11. रामतीर्थ मार्ग (हजरतगंज केन्द्रीय वाण्जियक क्षेत्र से राणा प्रताप मार्ग तक)
12. सुभाष मार्ग (मेडिकल कालेज चौराहा से स्टेशन मार्ग तक)
13. कैण्ट रोड (कैसरबाग केन्द्रीय वाणिज्यक क्षेत्र केन्द्र से कैण्ट रेलवे समपार तक)
14. अमीनाबाद मार्ग (चारबाग रेलवे स्टेशन से अमीनाबाद केन्द्रीय वाण्जियक क्षेत्र तक)
15. गौतम बुद्ध मार्ग (कैसरबाग केन्द्रीय वाण्जियक क्षेत्र केन्द्र से रेलवे स्टेशन मार्ग तक)
16. शिवाजी मार्ग (हुसैनगंज चौराहे से गौतम बुद्ध मार्ग तक)
17. गुइन रोड (अमीनाबाद केन्द्रीय वाण्जियक क्षेत्र से गुलमर्ग होटल चौराहा तक)
18. लालकुऑ / गुरूद्वारा मार्ग तक (हुसैनगंज चौराहे से नाका हिंडोला तक)
19. गोलागंज मार्ग (गोलागंज चौराहे से कैसरबाग बस स्टेशन चौराहे तक)
20. गंगाप्रसाद वर्मा मार्ग (रकावगंज चौराहे से अमीनाबाद केन्द्रीय वाण्जियक क्षेत्र तक)
21. वी0एन0वर्मा मार्ग (गुलमर्ग होटल चौराहा से कैसरबाग बस स्टेशन चौराहे तक)
22. नज़ीराबाद मार्ग (अमीनाबाद केन्द्रीय वाण्जियक क्षेत्र से कैसरबाग चौराहे तक)
23. कचहरी मार्ग (अमीनाबाद केन्द्रीय वाण्जियक क्षेत्र से आर0 एन0 टण्डन मार्ग तक)
24. झाऊ लाल मार्ग (गुलमर्ग होटल चौराहे से गोलागंज चौराहे तक)
25. लालबाग क्षेत्र जैसा कि मानचित्र में दर्शाया गया है।
26. पान दरीबा मार्ग (अग्रसेन विद्यालय / मवइया मार्ग)

उपरोक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा कपूरथला से आई0 टी0 कालेज चौराहे तक बाजार मार्ग (रैदास मन्दिर के सामने वाली पट्टी को) प्रस्तावित करने का निर्णय हुआ।

उपरोक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा शासनादेश संख्या 5081/9–आ–3–02–18 एलयूसी / दिनांक 25–04–2003 के द्वारा ग्राम भदरूख की भूमि का भू–उपयोग व्यवसायिक किये जाने

विषयः भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2000 में आवश्यक संशोधन किये जाने के संबंध में उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 07.12.2007 का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की बैठक दिनांक 29.09.2007 के विषय सं0 9 के सापेक्ष यह निर्णय लिया गया था कि लखनऊ नगर के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 में विकासकर्ता कम्पनी/वास्तुविद/नगर नियोजको द्वारा प्रस्तुत सुझावों का विस्तृत अध्ययन कर, सुझाव/संस्तुति देने हेतु एक समिति का गठन किया जाय तथा समिति की संस्तुति बोर्ड बैठक में रखा जाय। उक्त निर्णय के अनुपालन में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा दिनांक 18.10.2007 को उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया हैं जिसमें मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ श्री एस0के0गर्ग अध्यक्ष, एल्डिको हाउसिंग एण्ड इंडस्ट्रीज लि0, श्री अनुपम मित्तल, सचिव, उ0प्र0 आर्किटेक्स एसोशियसन सदस्य तथा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ संयोजक/सदस्य है।

उक्त समिति की बैठक दिनांक 07.12.2007 को गोमतीनगर, स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। सर्वसम्मति से समिति ने कई बिन्दुओं पर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2000 में संशोधन की संस्तुति दी है। समिति की बैठक दिनांक 07.12.2007 का कार्यवृत्त संलग्न है।

प्रस्तावः

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2000 में आवश्यक संशोधन किये जाने के संबंध में उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 07.12.2007 का कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 में आवश्यक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 07.12.2007 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की बैठक दिनांक 29.09.2007 के विषय संख्या–9 के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया था कि लखनऊ नगर के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 में विकासकर्ता कम्पनी/वास्तुविद/नगर नियोजको द्वारा प्रस्तुत सुझावों का विस्तृत अध्ययन कर, सुझाव/संस्तुति देने हेतु एक समिति का गठन किया जाय तथा समिति की संस्तुति बोर्ड बैठक में रखा जाय। उक्त निर्णय के अनुपालन में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा दिनांक 18.10.07 को उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया हैं जिसमें मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र., लखनऊ श्री एस.के. गर्ग अध्यक्ष, एल्डिको हाउसिंग एण्ड इंडस्ट्रीज लि., श्री अनुपम मित्तल, सचिव, उ.प्र. आर्किटेक्स एसोशियसन सदस्य तथा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ संयोजक/सदस्य है।

उक्त समिति की बैठक दिनांक 07.12.07 को गोमतीनगर, स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। सर्वसम्मति से निम्न विषयो पर समिति द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की बोर्ड बैठक में प्रस्तुत कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संस्तुतियाँ दी गयीः–

उपरिथितिः संलग्न।

क्रम सं0	वर्तमान प्रचलित नियम	समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधन	संशोधन किये जाने का कारण
1.	2.	3.	4.
1.	**Bldg. bye. Laws. Chapter No.- 3, part - 4, Clause-3.4.1** लखनऊ महायोजना–2021 में लो राईज एवं हाई राइज का कान्सेप्ट अपनाया गया है। वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत	प्रस्ताव है कि मंजिलों की अधिकतम संख्या तीन ही निर्धारित रखते हुए ऊँचाई का प्रतिबंध समाप्त किया जाय एवं पार्किंग की आवश्यकता के दृष्टिगत स्टिल्ट फलोर का निर्माण निम्नानुसार अनुमन्य किया जायः– • 150 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर स्टिल्ट अनुमन्य नही होगा। • 150 वर्ग मी0 से 300 वर्ग मी0 तक के भूखण्ड पर	किसी भी तल की ऊँचाई अधिक होने से एफ.ए.आर. में तथा वर्तमान में उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर पर दबाव नही पड़ेगा। स्टिल्ट अनुमन्य किये जाने पर पार्किंग की समस्या का निदान होगा।

	आवासीय भवनों में तीन मंजिले भवनों की अधिकतम् ऊँचाई स्टिल्ट के साथ 12.5 मीटर तथा स्टिल्ट के बिना 10.00 मीटर अनुमन्य है।	50 प्रतिशत भू आच्छादन पर स्टिल्ट अनुमन्य होगा। • 300 वर्ग मी0 से अधिक भूखण्ड पर 100 प्रतिशत भू–आच्छादन पर स्टिल्ट अनुमन्य होगा। • स्टिल्ट की अधिकतम् ऊँचाई 2.6 मीटर होगी। • भवन की ऊँचाई 12.00 मीटर से अधिक होने पर नियमानुसार स्ट्रक्चरल सेफ्टी के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	
2.	**Bldg. bye. Laws.** **Chapter N0. - 3, Part - 5, Clause - 3.5.1+ G.O. No.553 Dt.-25 jan, 03** वर्तमान में लखनऊ विकास क्षेत्र में विभिन्न नियोजित/ विकसित/ स्वीकृत आवासीय कालोनियों में प्रभार रहित/ प्रभार सहित ईकाईयों की अनुमन्यता उपयुक्त क्षेत्रों के चिन्हीकरण के अभाव में स्थगित है। ग्रुप हाउसिंग निर्माण हेतु 2000 से 4000 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों में अधिकतम् 15.00 मीटर ऊँचाई अनुमन्य है।	प्रस्ताव है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा नियोजित/ विकसित एवं स्वीकृत समस्त योजनाओं में 2000.00 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों में प्रभार रहित एवं प्रभार सहित इकाईयों को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधान के अनुसार अनुमन्य किया जाय। लेकिन महायोजना में निर्धारित जनसंख्या घनत्व तथा एफ.ए.आर. के अनुसार ही अनुमन्यता प्रदान की जाय। भूखण्ड का क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर तक एक यूनिट, 51 से 201 से 300 वर्गमीटर तक तीन यूनिट तथा 300 वर्ग मीटर से ऊपर चार यूनिट अनुमन्य किया जाय। प्रत्येक यूनिट में पॉच व्यक्ति मानक के अनुसार डेन्सिटी का निर्धारण किया जाय। ग्रुप हाउसिंग निर्माण हेतु भूखण्ड के सामने स्थित सड़क की चौड़ाई 12.00 मीटर होने पर अधिकतम् 15.00 मीटर ऊँचाई तथा 18.00 मीटर या अधिक चौड़ी सड़क होने पर निर्धारित भू–आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के अनुसार ऊँचाई अनुमन्य होगी।	वर्तमान नियमों के अन्तर्गत भवनों का वर्टिकल विस्तार न होने के कारण भू–मूल्य में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है, तथा अनुमन्य एफ.ए.आर. के अनुसार ही निर्माण कार्य कराने में कठिनाई हो रही है, इसलिए संशोधन आवश्यक है।

3.	Bldg. bye. Laws. Chapter N0. - 3, Part - 4, Clause - 3.4.1 (i) वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार 100 वर्ग मीटर से अधिक के आवासीय भूखण्डों में रियर सेटबैक के 40 प्रतिशत भाग पर 7.00 मीटर ऊँचाई तक निर्माण अनुमन्य है।	प्रस्ताव है कि तीन से अधिक आवासीय इकाईयों के अनुमन्य किये जाने की दशा में रियर सेटबैक के 40 प्रतिशत भाग पर कोई भी निर्माण अनुमन्य नही होगा।	किसी भूखण्ड में तीन से अधिक इकाईयों के निर्माण की दशा में भूखण्ड के रियर सेटबैक के 40 प्रतिशत भाग पर निर्माण अनुमन्य किये जाने से अगल–बगल के भवनों में सम्वातन प्रभावित होता है।
4.	**Bldg. bye. Laws.** **Chapter N0: - 3, Part – 9, G.O. No. – 4262 dt. 28-8-2004** वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार 2000 वर्ग मीटर से अधिक के ही भूखण्डों में बिल्डिंग इन्वेलप लाइन तक बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य है।	प्रस्ताव है कि अगल–बगल की सम्पत्तियों के स्ट्रक्चर सेफ्टी को सुनिश्चित करते हुए समस्त आकार के आवासीय भूखण्डों में बेसमेन्ट का निर्माण आगे के सेटबैक लाइन तक तथा अन्य तीन तरफ सम्पत्ति लाइन से दो मीटर दूरी पर अनुमन्य किया जाय। व्यवसायिक भूखण्डों में बेसमेन्ट अगल–बगल एवं पीछे की सम्पत्तियों से न्यूनतम् दो मीटर दूरी के पश्चात सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर अनुमन्य किया जाय।	2000 वर्ग मीटर से छोटे भूखण्डों में बेसमेन्ट अनुमन्य न होने के कारण पार्किंग समस्या बनी रहती है।
5.	**Lko. Master Plan -2021** **Chapter N0. - 6, Clause –6.4.8, Page No. – 57** वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार **"बाजार स्ट्रीट"** में बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य नही है।	प्रस्ताव है कि **"बाजार स्ट्रीट"** में 500 वर्गमीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में बेसमेन्ट अगल–बगल एवं पीछे की सम्पत्तियों के स्ट्रक्चर सेफ्टी को सुनिश्चित करते हुए अगल–बगल एवं पीछे की सम्पत्तियों से न्यूनतम् दो मीटर दूरी पर अनुमन्य किया जाय। यह भी प्रस्ताव है कि लखनऊ महायोजना–2021 में विभिन्न चौड़ाई की सड़कों के साथ प्रस्तावित **'बाजार स्ट्रीट'** के अन्तर्गत व्यवसायिक उपयोग की	बाजार के सामने के मुख्य मार्गो पर वाहन पार्किंग होने से याताकयात समस्या उत्पन्न होती है, जिसका निराकरण बेसमेन्ट का प्राविधान करने से हो जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न चौड़ाई की सड़कों पर महायोजना में

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>अधिकतम गहराई महायोजना में सम्बन्धित सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई के बराबर अनुमन्य होगी, जबकि सामने न्यूनतम खुला स्थल निम्नानुसार रखा जायः–
<table>
<tr><th>मार्ग की चौड़ाई (मी.)</th><th>सामने न्यूनतम खुला स्थल (मी.)</th></tr>
<tr><td>12</td><td>3.0</td></tr>
<tr><td>18</td><td>4.5</td></tr>
<tr><td>24</td><td>6.0</td></tr>
<tr><td>30</td><td>6.0</td></tr>
<tr><td>36</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>45</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>76</td><td>9.0</td></tr>
</table>
</td>
<td>बाजार स्ट्रीट के लिए सामने न्यूनतम खुले स्थल की चौड़ाई अत्यधिक निर्धारित की गई है, जिसके कारण किसी भूखण्ड की अधिकांश भूमि रोड–वाइडनिंग व खुले स्थल के रूप में छोड़ने से निर्माण योग्य भूमि बहुत कम उपलब्ध होगी।</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Lko. Master Plan -2021
Chapter N0. - 6, Clause –6.4.8, Page No. – 57
वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार ''बाजार स्ट्रीट'' में 40 प्रतिशत भू–आच्छादन व 1.20 एफ. ए.आर. ही अनुमन्य है।</td>
<td>प्रस्ताव है कि ''बाजार स्ट्रीट'' हेतु निर्मित क्षेत्र में यदि सड़क की चौड़ाई 24 मीटर से कम है तो 40 प्रतिशत भू–आच्छादन व 1.20 एफ.ए.आर. तथा सड़क की चौड़ाई 24.0 मीटर या अधिक होने पर निर्मित क्षेत्र में एवं बाहर अन्य क्षेत्रों में 40 प्रतिशत भू–आच्छादन व 1.50 एफ.ए.आर. अनुमन्य किया जाय।</td>
<td>व्यवसायिक भू–मूल्य में बढ़ोत्तरी होने के सापेक्ष भूमि का अधिकतम् उपयोग नही हो पा रहा है।</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Lko. Master Plan -2021
Chapter N0. - 6, Clause –6.4.8, Page No. – 57</td>
<td>प्रस्ताव है कि ''बाजार स्ट्रीट'' में भवन की अधिकतम ऊँचाई 15 मीटर अनुमन्य होगी, परन्तु ऊँचाई के सम्बन्ध में जिन क्षेत्रों में महायोजनान्तर्गत प्रतिबन्ध लगाया गया है, को महायोजना में</td>
<td>भवन की ऊँचाई प्रतिबंधित होने के कारण भू–आच्छादन अधिक होने की सम्भावना रहती है तथा</td>
</tr>
</table>

	वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार "बाजार स्ट्रीट" में भवन की ऊँचाई अधिकम् 12.5 मीटर ही अनुमन्य है।	संशोधन कर उक्त प्रतिबन्ध को शिथिल करना होगा	अनुमन्य एफ.ए.आर. का पूर्ण उपयोग नही हो पाता है।
8.	**Lko. Master Plan -2021** **Chapter N0. - 6, Clause–6.3.2, Page No. – 47** वर्तमान में लागू लखनऊ महायोजना–2021 मे अनिर्मित/अविकसित क्षेत्रों हेतु अधिकतम् जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति हेक्टेअर निर्धारित हैं।	प्रस्ताव है कि शहर में भूमि की कीमत पर निरन्तर हो रही बढ़ोत्तरी, भूमि के अधिकतम् उपयोग एवं सड़कों तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विस्तारीकरण की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए अनिर्मित/अविकसित क्षेत्रों में ले–आउट प्लान की स्वीकृति हेतु जनसंख्या घनत्व में महायोजना में निर्धारित सीमा से 30 प्रतिशत बृद्धि अनुमन्य की जाय।	महायोजना में जोन. स्तर का घनत्व निर्धारित किया जाता है तथा जोनल प्लान बनाने पर लगभग 25 से 30 प्रतिशत भूमि जोनल सड़कों, पार्को एवं ट्रंक सुविधाओं के उपयोग में चली जाती है, परन्तु ले–आउट प्लान की स्वीकृति सामान्यतः महायोजना में निर्धारित घनत्व के अनुसार प्रदान की जाती है, जिससे भूमि का सदुपयोग नही हो पा रहा है।
9.	**Bldg. bye. Laws.** **Chapter N0. - 3, Part – 3, Clause No. – 3.3.2 & G.O. No.- 3002 dt. 08-06-2001 (Amendment)** वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार एक से अधिक भूखण्डों को मिलाकर ग्रुप हाउसिंग एवं बहुमंजिले भवनों में मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही प्रतिबंधित है।	प्रस्ताव है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण गठन से पूर्व विकसित कालोनियों में 900 वर्ग मीटर से अधिक भूखण्डों को मिलाकर प्रस्तावित किये जाने वाले ग्रुप हाउसिंग एवं बहुमंजिले भवनों के मानचित्रों का निस्तारण किया जाय। प्राधिकरण/आवास विकास परिषद द्वारा विकसित/स्वीकृत आवासीय कालोनियों में यह प्राविधान लागू नही होगा।	एक ही भू–स्वामी के एक से अधिक भूखण्डों को मिलाकर नियमों के अन्तर्गत सेटबैक इत्यादि छोड़ने के पश्चात भी न तो मानचित्र स्वीकृत किया जा सकता है और न ही शमन कार्यवाही हो पाती है।

10.	Lko. Master Plan -2021 Chapter NO.- 7, Clause–7.1.2?k, Page No. – 75 वर्तमान में लागू लखनऊ महायोजना–2021 के प्राविधानों के अनुसार "बाजार स्ट्रीट" भू–प्रयोग में "होटल" नामक क्रिया निषिद्ध उपयोग के अन्तर्गत रखा गया है।	प्रस्ताव है कि इस प्रतिबंध को हटाकर "होटल" अनुमन्य क्रियाओं के अन्तर्गत रखा जाय।	"बाजार स्ट्रीट" की गतिविधियाँ व्यवसायिक भू–प्रयोग जैसी होती है। उक्त क्षेत्र में क्रेता–विक्रेता के निरन्तर आवागमन एवं जनसुविधा के दृष्टिकोण से व्यवसायिक भू–प्रयोग जैसी ही सुविधा "बाजार स्ट्रीट" में भी दी जानी चाहिए।
11.	प्राधिकरण द्वारा विकसित/स्वीकृत आवासीय कालोनियों में मुख्य मार्ग के किनारे–किनारे प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों में व्यवसायिक गतिविधियाँ आरम्भ हो गयी है/हो रही हैं तथा यह विकास "बाजार स्ट्रीट" के रूप में विकसित हुई है/हो रहीं हैं। अलीगंज, निराला नगर, महानगर आदि पुराने विकसित कालोनियों में इस प्रकार का विकास देखा जा सकता है। यह भले ही अनाधिकृत निर्माण की श्रेणी मे आता है तथा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–26, 27 एवं 28 के अधीन विधिक कार्यवाही भी की जाती है। लखनऊ महायोजना 2021 के अनुसार सुनियोजित अवासीय कालोनियों में जोनिंग रेगुलेशन्स प्रभावी नही है।	प्रस्ताव है कि मॉडल जोनिंग रेगुलेशैन्स 2000 में दिए गये प्राविधानों के अनुसार प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास विकास परिषद द्वारा विकसित/स्वीकृत कालोनियों में भी जोनिंग रेगुलेशन्स लागू किया जाय।	आवासीय भू–उपयोग में अनुमन्य क्रियाएं नियोजित रूप से विकसित कालोनियों में इसलिए लागू नही होते है कि लखनऊ महायोजना–2021 के अनुसार उक्त प्राविधान को अनुमन्य नही किया गया। जबकि अन्य विकास प्राधिकरणो में माडल जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार यह प्राविधान लागू है। निर्माण का विनियमितीकरण न होने के कारण न तो प्राधिकरण को कोई राजस्व प्राप्त होता है, न ही भूमि का सदुपयोग होता है और न ही अन्य आवश्यक क्रियाओं का विकास हो पाता है।

उपरोक्त प्रस्तावित संशोधनों के अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय की अनुमति से चर्चा उपरांत इस बिन्दु पर भी आम सहमति व्यक्त की गयी कि व्यवसायिक / कार्यालय व सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में एट्रियम को टैरेस फ्लोर पर पारदर्शी फाइवर सीट से ढ़का जा सकता है एवं एट्रियम के सरकुलेशन एरिया का अधिकतम 5 प्रतिशत भाग अस्थाई काउन्टर्स के रूप में प्रयोग किया जा सकता है तथा एट्रियम की गणना एफ.ए.आर. में नही की जाएगी।

(वी.वी.एल.एन. शर्मा)
सी.टी.पी., ल0वि0प्रा0,
संयोजक / सदस्य

(अनुपम मित्तल)
सचिव, उ.प्र. आर्किटेक्ट एसो0,
सदस्य

(एस.के. गर्ग)
अध्यक्ष, एल्डिको हा0 एण्ड इ0 लि0,
सदस्य

(एन.आर.वर्मा)
सी.टी.सी.पी., उ.प्र.,
सदस्य

(एन.एस. रवि)
उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0,
अध्यक्ष

विषयःग्राम-जुगौली, जनपद-लखनऊ, के खसरा सं0 87 एवं 88 का अंश भाग जिनका कुल क्षेत्रफल 0.809 हेक्टेयर है को लखनऊ महायोजना-2021 में निर्धारत भू-उपयोग पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी से सामुदायिक सुविधायें/उपयोगितायें एवं सेवायें भू-उपयोग में परिवर्तन करने तथा ग्राम-औरंगाबाद खालसा, तहसील व जनपद-लखनऊ के खसरा सं0 1062, 1063, 1064, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1341, 1342, 1344, 1345, 1352, 1354 तथा 1359 जिनका कुल क्षेत्रफल 2.603 हेक्टेयर है को लखनऊ महायोजना-2021 में निर्धारित भू-उपयोग पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तित करने एवं ग्राम-औरंगाबाद खालसा, मजरा-ख्वाजापुर, तहसील व जनपद-लखनऊ के खसरा संख्या-1350 (पी), 1356 (पी), 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384(पी), 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431 तथा 1433 जिनका कुल क्षेत्रफल 3.437 हेक्टेयर है का भू-उपयोग, लखनऊ महायोजना-2021 में निर्धारित आवासीय से पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी भू-उपयोग में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

ग्राम-जुगौली, जनपद-लखनऊ, के खसरा सं0 87 एवं 88 का अंश भाग जिनका कुल क्षेत्रफल 0.809 हेक्टेयर है को लखनऊ महायोजना- 2021 में निर्धारत भू-उपयोग पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी से सामुदायिक सुविधायें/उपयोगितायें एवं सेवायें भू-उपयोग में परिवर्तन करने तथा ग्राम-औरंगाबाद खालसा, तहसील व जनपद-लखनऊ के खसरा सं0 1062, 1063, 1064, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1341, 1342, 1344, 1345, 1352, 1354 तथा 1359 जिनका कुल क्षेत्रफल 2.603 हेक्टेयर है को लखनऊ महायोजना-2021 में निर्धारित भू-उपयोग पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तित करने एवं ग्राम-औरंगाबाद खालसा, मजरा-ख्वाजापुर, तहसील व जनपद-लखनऊ के खसरा संख्या-1350 (पी), 1356 (पी), 1379, 1380, 1381, 1382, 1383,

1384(पी), 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431 तथा 1433 जिनका कुल क्षेत्रफल 3.437 हेक्टेयर है का भू-उपयोग, लखनऊ महायोजना-2021 में निर्धारित आवासीय से पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी भू-उपयोग में परिवर्तित करने का अनुमोदन लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की बोर्ड बैठक दिनांक 29.09.2007 में किया गया है। उक्त के अनुक्रम में शासनादेश सं0 4426 (1)/08-03-2007-44 एल0यू0सी0/2007 दिनांक 19.10.2007 द्वारा जनता से प्रश्नगत प्रकरण पर आपत्ति एवं सुझाव दिनांक 20.10.2007 को प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाइम्स तथा हिन्दी दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान के माध्यम से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर आमंत्रित किये गये। निर्धारित अवधि में कुल चार आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए। प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों की सुनवाई हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 28.11.2007 को उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। सभी आपत्तिकर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 28.11.2007 की बैठक में आमंत्रित किया गया। प्राप्त चारों आपत्तियाँ/सुझाव प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित तथा औचित्यपूर्ण न होने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से समस्त आपत्तियों को निरस्त करने की संस्तुति की गयी है (अधिकतर आपत्तिकर्ताओं द्वारा अपनी निजी भूमि को भी पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है)। सुनवाई समिति की बैठक दिनांक 28.11.2007 का कार्यवृत्त संलग्न है।

<u>प्रस्ताव:</u>

अत: प्रश्नगत भूखण्डों का भू-उपयोग सुनवाई समिति की बैठक दिनांक 28.11.2007 की संस्तुतियों के अनुसार अनुमोदन कर शासन को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश देने हेतु प्रस्तुत।

ग्राम-जुगौली, जनपद-लखनऊ, के खसरा सं0 87 एवं 88 का अंश भाग जिनका कुल क्षेत्रफल 0.809 हेक्टेयर है को लखनऊ महायोजना- 2021 में निर्धारित भू-उपयोग पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी से सामुदायिक सुविधायें/उपयोगितायें एवं सेवायें भू-उपयोग में परिवर्तन करने तथा ग्राम-औरंगाबाद खालसा, तहसील व जनपद-लखनऊ के खसरा सं0 1062, 1063, 1064, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1341, 1342, 1344, 1345, 1352, 1354 तथा 1359 जिनका कुल क्षेत्रफल 2.603 हेक्टेयर है को लखनऊ महायोजना-2021 में निर्धारित भू-उपयोग पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तित करने एवं ग्राम-औरंगाबाद खालसा, मंजरा-ख्वाजापुर, तहसील व जनपद-लखनऊ के खसरा संख्या-1350 (पी), 1356 (पी), 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384(पी), 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431 तथा 1433 जिनका कुल क्षेत्रफल 3.437 हेक्टेयर है का भू-उपयोग, लखनऊ महायोजना-2021 में निर्धारित आवासीय से पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी भू-उपयोग में परिवर्तित करने हेतु प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों की सुनवाई हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 28.11.2007 का कार्यवृत्त।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की बोर्ड बैठक दिनांक 29.09.2007 में ग्राम-जुगौली, जनपद-लखनऊ, के खसरा सं0 87 एवं 88 का अंश भाग जिनका कुल क्षेत्रफल 0.809 हेक्टेयर है को लखनऊ महायोजना- 2021 में निर्धारित भू-उपयोग पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी से सामुदायिक सुविधायें/उपयोगितायें एवं सेवायें तथा ग्राम- औरंगाबाद खालसा, तहसील व जनपद-लखनऊ के खसरा सं0 1062, 1063, 1064, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1341, 1342, 1344, 1345, 1352, 1354 तथा 1359 जिनका कुल क्षेत्रफल 2.603 हेक्टेयर है को लखनऊ महायोजना-2021 में निर्धारित भू-उपयोग पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तित करने तथा ग्राम-औरंगाबाद खालसा, मजरा-ख्वाजापुर, तहसील व जनपद-लखनऊ के खसरा संख्या-1350 (पी), 1356 (पी), 1379, 1380, 1381, 1382, 1383,1384(पी), 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431 तथा 1433 जिनका कुल क्षेत्रफल 3.437 हेक्टेयर है, लखनऊ महायोजना-2021 में निर्धारित आवासीय भू-उपयोग से पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी भू-उपयोग में परिवर्तित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी

तथा शासन से सहमति की दशा में आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के अनुक्रम में शासनादेश सं0 4426 (1)/08-03-2007-44 एल0यू0सी0/2007 दिनांक 19.10.2007 द्वारा जनता से प्रश्नगत प्रकरण पर आपत्ति एवं सुझाव दिनांक 20.10.2007 को प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाइम्स तथा हिन्दी दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान के माध्यम से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर आमंत्रित किये गये। निर्धारित अवधि में कूल चार आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए। सभी आपत्तिकर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 28.11.2007 की बैठक में आमंत्रित किया गया। आपत्तिकर्ता श्री जयप्रकाश नारायन, ग्राम-कुरसठ बुजुर्ग, तहसील-बिलग्राम, जिला-हरदोई तथा सिद्धार्थ जैन एडवोकेट, 4/4, बटलर पैलेस, लखनऊ स्वयं या उनके प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हुए। अवशेष दो आपत्तियो से सम्बन्धित उपस्थित व्यक्तियों की सूची संलग्न है। प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों की सुनवाई हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 28.11.2007 को उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। प्राप्त चार आपत्तियो पर विस्तृत विचार-विमर्श कर निम्नानुसार संस्तुति सर्वसम्मति से की गयी।

उपस्थिति:-

1.	श्री एन0एस0रवि उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0	अध्यक्ष
2.	श्री एस0एन0 ओझा अपर आयुक्त (प्रशासन) लखनऊ प्रतिनिधि आयुक्त, लखनऊ मण्डल लखनऊ।	सदस्य
3.	श्री ओम प्रकाश पाठक अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), लखनऊ प्रतिनिधि जिलाधिकारी, लखनऊ	सदस्य

san

62

4. ए0के0भटनागर — सदस्य
सहयुक्त नियोजक,
प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ

5. श्री आर0एन0पाल — सदस्य
अपर नगर आयुक्त
प्रतिनिधि नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ

6. श्री वी0वी0एल0एन0शर्मा — सदस्य
मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0

अन्य उपस्थितिः-

1. श्री ए0के0गुप्ता
मुख्य वास्तुविद,
नगर निगम, लखनऊ

क्रम सं0	आपत्तिकर्ता का नाम व पता	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	समिति की संस्तुति
1.	जय प्रकाश नारायण, ग्राम-कुरसठ बुजुर्ग, तहसील-बिलग्राम, जिला-हरदोई।	1. यह कि आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 ने दिनांक 20.10.2007 को हिन्दुस्तान लखनऊ में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से ग्राम-औरंगाबाद खालसा, परगना तहसील व जिला- लखनऊ में स्थित भूमि खसरा संख्या-1062 आदि का भू-उपयोग पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी से आवासीय किये जाने पर आपत्ति एवम् सुझाव मांगे है।	आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति के प्रस्तर 1 से 6 तक अपनी जानकारी के अनुसार स्थिति का उल्लेख किया गया है।

san

		2. यह कि प्रार्थी ने जब उपरोक्त अधिसूचना के पश्चात लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय मे सम्पर्क किया तो उसे प्रथम बार ज्ञात हुआ कि ओमेक्स सिटी के सामने से लेकर शहीद पथ तक स्थित सभी जमींनों का भू-प्रयोग महायोजना-2021 में पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी है। 3. यह कि प्रार्थी ने जब उपरोक्त अधिसूचना पर और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की तो उसे निम्नलिखित जानकारी मिली:- 4. (क) यह कि उपरोक्त अधिसूचित भूमि जिसका मालिक लखनऊ विकास प्राधिकरण स्वयं है के अलावा अन्य भूमि निजी व्यक्तियों की है। (ख) यह कि महायोजना-2001 में ओमेक्स सिटी एवं शहीद पथ के बीच स्थित भूमि का भू प्रयोग शैक्षिक का था। (ग) यह कि महायोजना-2021 में उपरोक्त समस्त भूमि (ओमेक्स सिटी एवं शहीद पथ के बीच की) का भू-प्रयोग आवासीय होता था परन्तु चूंकि महायोजना-2021 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार निश्चित समय में बनाया जाना था। अतः त्रुटिवश उपरोक्त भूमि का भू-प्रयोग पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी हो गया था। 5. यह कि प्रार्थी उपरोक्त अधिसूचित भूखण्डों से लगभग मिले हुए भूखण्ड खसरा संख्या-1324, 1327 का मालिक है। 6. यह कि प्रार्थी ने उपरोक्त भूखण्ड आवासीय प्रयोजन हेतु जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा निर्धारित आवासीय स्टैम्प ड्यूटी देकर काफी समय पहले खरीदा था। 7. यह कि सरकार ने जब महायोजना-2021 में हुए त्रुटि को मान लिया है तो केवल	प्रस्तर 7 में आपत्तिकर्ता द्वारा अपने स्वामित्व के खसरा सं0 1324, 1327 को भी आवासीय भू-उपयोग घोषित करने का अनुरोध किया गया है। प्रार्थी का सुझाव विचाराधीन भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित नहीं हैं। प्रार्थी उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत पृथक रूप से नियमानुसार प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकता है। प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव में प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन पर कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आपत्ति/सुझाव निरस्त करने योग्य है।

san

		प्राधिकरण/सरकारी भूमि का भू-प्रयोग आवासीय घोषित करना एवं निजी भूमि का आवासीय न घोषित होना न्यायोचित नही है। इसलिए प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या-1324, 1327 का भी भू-प्रयोग आवासीय घोषित कर दिया जाना चाहिए।	
2.	हेमलता सिंह C/o भग्गू निवास-औरंगाबाद जागीर आर0डी0गैस गोदाम के सामने, बिजनौर रोड, पोस्ट-बिजनौर, लखनऊ खसरा सं0 1009	आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 द्वारा हिन्दुस्तान समाचार पत्र में दिनांक 20.10.07 को प्रकाशित करवाई गयी सूचना सं0 4426 (1)/08.03.2007-44 एल0यू0सी0/2007 के सम्बन्ध में हम लोग यह कहना चाहते है कि यह अत्यन्त खुशी की बात है कि औरंगाबाद खालसा ग्राम के अन्तर्गत आने वाली कुछ भूमि (खसरा सं0 1062, 1063, 1064, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1341, 1342, 1345, 1352, 1354 तथा 1359) का भू उपयोग हरित पट्टी से आवासीय में परिवर्तित किया जा रहा है। आपसे निवेदन है कि उक्त क्षेत्र के पश्चिम उससे लगे हुए छोटे से भू क्षेत्र खसरा संख्या 1002, 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, औरंगाबाद जागीर एवं खसरा सं0 1071, 1074, 1077, 1078, 1089, 1084, 1085, 1088 1089 खालसा को भी हरित पट्टी से आवासीय क्षेत्र में परिवर्तित करने की कृपा करें क्योकि- 1. आपके द्वारा प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र से बिजनौर रोड का सीधा सम्पर्क हो जाने से वहां से आवागमन सुगम हो जायेगा। 2. बिजनौर रोड के पश्चिम में भी आवासीय क्षेत्र है अतः आपके द्वारा प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र एवं बिजनौर रोड के पश्चिम के आवासीय क्षेत्र के बीच का यह छोटा सा क्षेत्र है। 3. जिस क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र में बदलने की प्रार्थना की जा रही है उस क्षेत्र के खसरा सं0 औरंगाबाद जागीर 1002, 1006, 1009, खालसा 1074 में सात मकान बने हुए है जिनमें लोग लगभग बीस वर्षो से रह रहे है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त सुझाव पर गम्भीरता से विचार करते हुए भू-उपयोग	आपत्ति सं0 2 में भी आपत्ति सं0 1 के समान ग्राम-औरंगाबाद खालसा के निजी भू-स्वामित्व की भूमि का भू-उपयोग आवासीय में परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है जो प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरण से सम्बन्धित नहीं है। प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव में प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन पर कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः निरस्त करने योग्य है।

san

		परिवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही करने की कृपा करें जिससे बिजनौर रोड पर सड़क के किनारे के इस छोटे से भू-भाग को आवासीय जुड़े हुए क्षेत्र में सम्मिलित होने का आपके माध्यम से अवसर प्राप्त हो जायेगा तथा हम सभी को इसका नया रूप देखने को मिल जायेगा।	
3.	Praveenjain, B-939/A, Mandir Marg, Mahanagar, Lucknow.	1. Through notification No.4426(1) dated 19.10.07 published in Hindustan, Lucknow, objections and suggestions were invited to the proposal of the state Government to change land use of the land mentioned in the said notification. The land measuring 2.603 hectares under Khasra No. 1062, 1063, 1064 etc. situated at Aurangabad Khalsa tehsil & District Lucknow from park and open space/ green belt to residential. 2. That from the above mentioned notification, the applicant, for the first time came to know that the land use of the said land, which was institutional under the old Master Plan 2001 had been changed to Park and Open Space/Green Belt under the master Plan 2021. 3. That when the applicant saw the aforementioned notification, the applicant approached the Lucknow Development Authority office to put forth his objections/grievances to the said proposal and to oppose the said change. 4. That on approaching the office of the Lucknow Development Authority, the applicant was shocked to find that under the Master Plan 2021, not only the land use of the land mentioned in the aforementioned notification, had been changed but the land use of the adjoining land (land under Khasra No. 1337, 1339 and 1340) belonging to the applicant, which was procured by applicant prior to the introduction and enforcement of the Master Plant 2021 for residential purpose, had also been changed from Institutional to Park and Open space/Green Belt. 5. That it is pertinent to mention here that the portion of the land belonging to the applicant, mentioned hereinabove was purchased by the applicant, for residential purpose, by paying stamp duty as applicable on residential land, before coming into force to the Master Plan of 2021. 6. That as per section 16 of the U.P. Urban Planning and Development Act, 1973 the owner of any situated in the area with regard to which he was enjoying before coming into force of the new Master Plan (Master Plan 2021in the present case).	आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति के प्रस्तर 1 से 6 तक अपनी जानकारी के अनुसार स्थिति का उल्लेख किया गया है तथा प्रस्तर 7 से 13 में असम्बद्ध वक्तव्य अंकित किये गये है जिनका प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन से कोई सम्बन्ध नही है। प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव में प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन पर कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आपत्ति निरस्त करने योग्य है।

7. That since the applicant paid stamp duty on the portion of the land purchased by him as applicable to residential land, the applicant is entitled to use and treat the said land as residential.

8. That the Master Plan 2021 should have been introduced by the year 2001, but the same could not be done till 2004 and it was only when the Hon'ble High Court interference in the matter and directed the State Government to declare the Master Plan 2021 latest by 31.03.2005, that the Government rushed through the formalities of preparation and declaration of the Master Plan 2021. In this process on 23.02.2005 the Master Plan 2021 was opened to the public to file their, objections,/suggestions and for which purpose only 10 days time i.e. time up to 04.03.2005 was given, which at the face of it is wholly insufficient and arbitrary especially in view of the established tradition of granting a minimum 30 days time for the said purpose, As a result of the shortage of time, several people were unable to file their objections,/suggestions.

9. That in the process of hurrying through the process of introduction of Master Plan-2021 the Government wrongly marked the land mentioned at Serial No. 2 in the notification under reference as well as the applicant's land adjoining the same as park and open Spaces/Green Belt instead of Marking it residential.

10. That now even after realizing the mistake committed at the time of declaration of Master Plan 2021 and having made up its mind to correct the same, the Government has arbitrarily decided to correct the mistake only with respect to the land belonging to the Lucknow Development Authority and has excluded the land of the applicant.

11. That since, the land of the applicant under Khasra No. 1337, 1339 and 1340 is situated adjacent to the land belonging to the Land of Lucknow Development Authority mentioned in the Notification under reference, and the land was purchased by the applicant after paying the stamp duty valued treating the said land as residential. It would be appropriate to mark the applicant's property as residential under the Master Plan 2021.

12. That it is pertinent to mention here that the change of land use of the applicant's land would in no way effect adversely the character of the Master Plan 2021 as even after the change of land use of the applicant's land, the total land earmarked to be used for Park and Open Space/Green Belt would not

san

67

		go below 20 percent as required under the Master Plan 2021, especially in view of the fact that recently the Lucknow Development Authority has prepared a open space measuring approximately 50 acres to be used as Rally Sthal on the land which, under the Master Plan 2021 was earmarked to be used for residential purposes which is situated in the same Zone of the Master Plan, in which the applicant's land is situated. 13. That since now the government has realized the mistake committed by it at the time of declaration of Master Plan-2021. It is expedient in the interest of Justice that along with the Authority/Government's land, the land use of the Applicant's land i.e. 1337, 1339, 1340 are also market to residential in the Master Plan-2021. Wherefore, in view of the facts, reasons and circumstances mentioned hereinabove, it is expedient in the interest of Justice that the applicant's land situated on Khasra No. 1337, 1339 and 1340 situated at Aurangabad Khalsa Tehsil & District Lucknow be also included for marking the same for residential purpose under the Master Plan 2021 prepared for the city of Lucknow along with the land mentioned in the notification on item no. 2 published on date 20.10.2007 and the applicant be permitted to use the said land for residential purposes and a certificate to that effect be issued to the applicant at the earliest.	
4.	Sidharth Jain, Advocate, 4/4, Butler Palace colony Jopling Road, Lucknow	1. That the master plan 2021, presently in operation was declared on 31.03.2005 and has replaced the master plan 2001. 2. That the master Plan 2021 was supposed to be declared in 2001 but the same was not introduced until the Hon'ble High Court interfered in the matter in the year 2004 and directed the state government to declare the master plan by 31.03.2005. 1. That since the Hon'ble High Court had fixed 31.03.2005 as the dead line for the introduction of the master plan, the state government rushed through the entire process of its preparation and declaration. The fact that the master plan 2021 was declared in a great hurry can be easily ascertained from the fact that only 10 days time was allowed to the public for filing of objections to the Master Plan, instead of the established tradition of granting 30 days time, at the time of declaration of the master plan. 2. That because of the great hurry in which the Master Plan 2021 was declared, it suffered from several mistakes and short-coming and to rectify the same, the state government has amended it numerous	प्रार्थी द्वारा प्रस्तर सं0 1 से 6 तक लखनऊ महायोजना के संरचना के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य केवल आंशिक रूप से सही है। परन्तु उनका प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन से कोई सम्बन्ध नही है। प्रस्तर सं0 7 में उपविन्दु ए एवं बी

san

		times within the short span of 2 years. 3. That the notification under reply is also one such attempt to rectify the mistakes that have crept in at the time of declaration of the Master Plan 2021. 4. That the applicant which to raise/give following objections/suggestions with regard to the proposal contained in the notification reply. 5. That the land mentioned at **item no.1** of the notification is situated in a different zone under the Master plan 2021 than the land at item no. 2 and 3 In this regard, it is suggested that the notification with regard to the change of land use should be issued zone-wise so that it is easy for the people to give their suggestions and raise their objections with regard to the same. 6. That a perusal of the notification would suggest that the State Government has tried to maintain a balance between the land under Park and Open Spaces/Green Belt and the land under residential/institutional use, and in the said endeavor, it has sought to change almost the same measure of land from Park and open spaces/green belt to Residential/institutional use and vice versa. This balance should also be maintained zone wise. 7. That with regard to **item no. 2,** it is submitted as under a. That by means of the item no. 2, the state government has sought to change the land use of the land under Khasra No.1062, 1063 etc. from Park and Open Space/green belt to residential. b. That the land under item no. 2 is in the ownership of the Lucknow Development Authority . c. That the land use of this land, along with other adjoining lands, which belonged to private individuals mostly belonging to the persons from Scheduled Castes and other weaksections of the society, was 'Institutional' under the Master Plan 2001. d. That it appears that due to some mistake it was marked as Park and Open spaces/green belt under the Master Plan 2021 and by means of the present notification, the state government has sought to correct the said mistake. e. That once the State Government has realized its mistake and has sought to correct the same by re-changing the land use of the said land from Park and open spaces/green belt to residential, it should also change the land use of the adjoining lands, which were also wrongly marked as Park and open spaces/green at the time of the declaration of Master Plan 2021. f. That rectifying the mistake only with regard to the Land belonging to the LDA and completely	में तथ्यातमक स्थिति प्रस्तुत की गयी है, उपबिन्दु 'सी' से 'आई' तक के वक्तव्य आपत्तिकर्ता के अपनी जानकारी के अनुसार है तथा प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित नहीं है। बिन्दु संख्या 8 में प्रार्थी ने अपने भूखण्डो के भू-उपयोग परिवर्तन का अनुरोध किया है जो प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित नहीं है। प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव में प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन पर कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः आपत्ति निरस्त करने योग्य है।

san

ignoring the adjoining land similarly situated, belonging mostly to poor people of backward classes, is arbitrary and illegal apart from being discriminatory, it is submitted that the preparation/amendment of the master plan should be on the basis of the potential value of the land and not on the basis of ownership.

g. That it is submitted that the government can only declare its own land as park and open spaces/green belt and not the land belonging to any other person.

h. That it is further submitted that the action of the State government is correcting the mistake and converting the land use only of the land belonging to the LDA and completely ignoring the lands belonging to the private individuals is completely arbitrary and shows that the government intends to enrich itself at the cost of the poor people, whose land has been left under Park and open spaces/Green belt while the land of the LDA is sought to be converted to residential.

i. That therefore the State Government should, in addition to changing the land use of its own land, should also change the land use of the adjoining lands belonging to private individuals.

8. That with regard to the **item No.3** in the notification under reference it is submitted as under

a. That the land mentioned at item no. 3 of the notification under reference is a part of the newly built Rally Sthal measuring a total of about 56 acres. Under the Master Plan 2021 the Land useof the said land was Residential.

b. That since the Rally Sthal has been built on a total area of about 56 Acres, there is no justification for converting only 3.437 Hectares of Land out of 56 Acres from Residential to Park andopen spaces/greenbelt for this purpose.

c. That it is suggested that instead of changing the land use of the Rally Sthal from residential to Park and open space/green belt, in parts the land use of the entire land.

In view of the above, you are requested:-

1. Issue separate notification for land situated at item no. 1 and not to change the land use of the same along with land at serial no. 2 and 3 of the notification.

san

		2.	To change the land use of the land belonging to private individuals, situated adjacent to the land mentioned at item no. 2 from park and open spaces /green belt to residential.	
		3.	To change the land use of the entire land on which the Ralley Sthal is situated instead of doing it in piece meal.	

<u>संलग्नक:</u> उपरोक्तानुसार।

(वी0वी0एल0एन0शर्मा)
मुख्य नगर नियोजक
ल0वि0प्रा0/सदस्य

(ए0के0भटनागर)
सहयुक्त नियोजक,
सदस्य

(आर0एन0पाल)
अपर नगर आयुक्त
सदस्य

(ओम प्रकाश पाठक)
अपर जिलाधिकारी
(भू0अ0)
सदस्य

(एस0एन0 ओझा)
अपर आयुक्त
सदस्य

(एन0एस0 रवि)
उपाध्यक्ष,
ल0वि0प्रा0
अध्यक्ष

san

नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज को विराज खण्ड के तखवा ग्राम में रिक्त 4.80 एकड़ भूमि पर लगे दण्ड व्याज को माफ किये जाने के संबंध में।

प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 23.2.2007 (संलग्नक-1) में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल गोमती नगर विराज खण्ड में रिक्त 4.80 एकड भूमि पर दिनांक 30.10.2006 तक देय दण्ड व्याज रू0 97,51,734.00 को समाप्त किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। जिसमें बोर्ड द्वारा ''प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि एक बार समाधान योजना (ओ0टी0एस0) पद्धति के अन्तर्गत गणना कर पुन: प्रस्तुत किया जाये।'' उक्त के क्रम में गणनानुभाग द्वारा ओ0टी0एस0 एवं नानओ0टी0एस0 सिस्टम से गणना करायी गयी जिसमें दिनांक 31.3.2008 तक देय तिथि मानते हुए नानओ0टी0एस0 से व्याज रू0 1,17,18,502.01 आ रहा है एवं ओ0टी0एस0 के माध्यम से व्याज रू0 1,01,07,113.00 आता है। इस प्रकार से रू0-16,11,389.01 का अन्तर आ रहा है। अत: प्राधिकरण बोर्ड ब्याज माफ किये जाने के संबंध में निर्णय लेना चाहे।

(के० के० सिंह)
सम्पत्ति अधिकारी
प्राधिकरण लखनऊ

14/1/08
(एस०के०सिंह)
अपर सचिव

विषय संख्या : 10

नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज को विराज खण्ड के तखवा ग्राम में रिक्त 4.80 एकड़ भूमि पर लगे दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि एक बार समाधान (ओ.टी.एस.) पध्दति के अन्तर्गत गणना करा कर पुनः प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 11

सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत ग्राम सेमरागौढ़ी मोहिबुल्लापुर, खलीलाबाद, सिकन्दरपुर इनायत अली व आकिलपुर की अर्जित भूमि का समझौता के आधार पर प्रतिकर भुगतान करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि किसानों को भुगतान की जाने वाली धनराशि में दिनांक 31.3.2007 तक ब्याज सम्मिलित किया जाय एवं इस धनराशि का भुगतान हितबध्द व्यक्तियों को 30 सितम्बर, 2007 तक सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि ब्याज की अतिरिक्त देयता पर विराम लग सके। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि चुनाव आयोग की अनुमति के उपरान्त ही लिये गये निर्णय का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

विषय संख्या : 12

कानपुर रोड योजना भाग-4 के अन्तर्गत शारदानगर योजना के रवि खण्ड के निकट लगभग 15 बीघा भूमि ''जहाँ है जैसे है'' के आधार पर विकास हेतु लाइसेन्स पर मेसर्स एल्डिको हाउसिंग एंण्ड इन्डस्ट्रीज़ लि. को दिये जाने के सम्बन्ध में।

विषयः- लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैलेन्सशीट वर्ष 2006-07 बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैलेन्सशीट वर्ष 2006-07 मे0 हबीबुल्लाह एण्ड क0, चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा तैयार कर दी गई है तथा वित्तीय वर्ष 2006-07 के आयकर रिटर्न के साथ आयकर विभाग में जमा करायी जा चुकी है।

उक्त बैलेन्सशीट वर्ष 2006-07 प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। बैलेन्सशीट- संलग्न।

(महेन्द्र प्रसाद)
वित्त नियंत्रक
ल० वि० प्रा०

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
17/20 दिसम्बर, 2007 में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री विजय शंकर पाण्डेय	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री एन0एस0 रवि	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3.	श्री चन्द्र भानु	जिलाधिकारी, लखनऊ।
4.	श्री आर0के0 सिंह (प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव–आवास)	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
5.	श्री ओम नारायण	निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
6.	श्री ए0सी0 सिन्हा (प्रतिनिधि–नगर आयुक्त)	अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
7.	श्री अवनीश चतुर्वेदी	संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8.	श्री एन0आर0 वर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9.	श्री एन0पी0 सिंह (प्रतिनिधि–निदेशक, पर्यटन)	उपनिदेशक पर्यटन, लखनऊ।
10.	श्री संजीव कश्यप (प्रतिनिधि–आवास आयुक्त)	आर्कीटेक्ट प्लानर/ओ.एस.डी. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

अन्य उपस्थिति :

11.	श्री एस0एस0 मिश्र	सचिव, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
12.	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह	अपर सचिव, ल0वि0प्रा0।
13.	श्री महेन्द्र प्रसाद	वित्त नियन्त्रक, ल0वि0प्रा0।
14.	श्री त्रिलोकी नाथ	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
15.	श्री रवि श्रीवास्तव	मुख्य अभियन्ता–वि0/यां0, ल0वि0प्रा0।
16.	श्री जी0एस0 गोयल	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
17.	श्री एस0बी0 मिश्र	संयुक्त निदेशक (भूमि एवं विकास), ल0वि0प्रा0।

अध्यक्ष महोदय के सम्बोधन एवं उपाध्यक्ष एवं सदस्यगणों के औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक प्रारम्भ हुई ।

विषय संख्या : 1 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27 अक्टूबर, 2007 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27 अक्टूबर, 2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 2 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27 अक्टूबर, 2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27 अक्टूबर, 2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

विषय संख्या : 3 — लखनऊ विकास प्राधिकरण के कम्प्यूटर अनुभाग में सहायक प्रोग्रामर के पद की शैक्षिक योग्यता का पुनर्निधारण किये जाने की औपचारिक स्वीकृति।

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित सहायक प्रोग्रामर के पद की शैक्षिक अर्हता को भी सम्मलित कर लिया जाये।

विषय संख्या : 4 — लखनऊ विकास प्राधिकरण के कम्प्यूटर अनुभाग में डाटा इन्ट्री आपरेटर के पद की शैक्षिक योग्यता का पुनर्निधारण किये जाने की औपचारिक स्वीकृति।

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित डाटा इन्ट्री आपरेटर के पद की शैक्षिक अर्हता को भी सम्मलित कर लिया जाये।

विषय संख्या : 5 — लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्राधिकरण कर्मिकों को समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्राधिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी एवं निर्णय लिया गया कि प्रकरण संस्तुति सहित शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये। शासन की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही समयमान वेतनमान दिये जाने की कार्यवाही की जाये।

विषय संख्या : 6 — जनपद न्यायाधीश स्तर के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को संविदा पर एक–एक वर्ष की अवधि के लिए रखे जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। साथ में यह भी निर्णय लिया गया कि देय मानदेय की धनराशि अन्तिम आहरित वेतन में पेंशन की धनराशि को घटाने के उपरान्त जो देयता निर्धारित हो, मानदेय के रूप में विनिश्चित की जाये।

विषय संख्या : 7	श्री वीरेन्द्र कुमार, मेट (वर्कचार्ज) के पुत्र छोटू के लीवर में फोड़ा हो जाने के कारण चिकित्सा पर व्यय धनराशि रू0 29,385/– की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
विषय संख्या : 8	हरदोई रोड योजना (बसंत कुंज) के अन्तर्गत स्थित ग्राम बरावन कला की 17.367 हेक्टेअर भूमि का अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।
विषय संख्या : 9	लखनऊ–कानपुर रोड तथा लखनऊ–मोहान के मध्य एयरपोर्ट के समीप लगभग 5000 एकड़ भूमि सुनियोजित विकास के लिए एवं आउटर रिंग रोड के लिए लगभग 1250 एकड़ भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारपूर्वक चर्चा की गयी एवं प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी। साथ ही निम्न कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया :– (1) एयरपोर्ट अथॉरिटी एवं अन्य सम्बन्धित से अनापत्ति प्राप्त कर ली जाये। (2) रिंग रोड के समीप व्यवसायिक, आवासीय एवं अन्य उपयोगों के लिए भी कार्य योजना बनायी जाये। (3) रिंग रोड के निर्माण पर होने वाली व्यय की प्रतिपूर्ति किस प्रकार की जायेगी, इसका भी अध्ययन कर लिया जाये, जिससे की रिंग रोड पर होने वाले व्यय का योजना पर न्यूनतम भार न पड़े।
विषय संख्या : 10	सोलर वाटर हीटिंग संयंत्रों के मानकों को लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रस्तावित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समाविष्ट करने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्ताव अंगीकृत किया गया।
विषय संख्या : 11	स्टेशन रोड (हुसैनगंज क्रासिंग से के0के0सी0 कालेज तक) स्थित भूमि का भू–उपयोग बाजार स्ट्रीट से व्यवसायिक किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत क्षेत्र में वर्तमान भू–उपयोगों के परीक्षण के साथ–साथ यह भी परीक्षण कर लिया जाये कि भू–उपयोग व्यवसायिक करने से उस क्षेत्र के यातायात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विस्तृत प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 12

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 में आवश्यक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 07.12.07 के कार्यवृत्त का अवलोकन एवं उस पर निर्णय लिया जाना।

निर्णय :

विचारोपरान्त समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर सहमति प्रदान की गयी तथा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्तावित संशोधनों हेतु जन सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त कर तदानुसार संशोधनों को भवन उपविधि में सम्मलित करने हेतु प्रस्ताव शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाये।

विषय संख्या : 13

ग्राम जुगौली, जनपद–लखनऊ के खसरा नं0–87 एवं 88 का अंश भाग जिनका कुल क्षेत्रफल 0.809 हेक्टेअर है, जो लखनऊ महोयोजना–2021 में निर्धारित भू–उपयोग पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी से सामुदायिक सुविधाएं/उपयोगिताएं एवं सेवाएं भू–उपयोग में परिवव्रन करने एवं ग्राम–औरंगाबाद खालसा तहसील व जनपद, लखनऊ के खसरा संख्या–1062, 1063, 1064, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1341, 1342, 1344, 1345, 1352, 1354 तथा 1359 जिनका कुल क्षेत्रफल 2.603 हेक्टेअर है, को लखनऊ महायोजना–2021 में निर्धारित भू–उपयोग पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तित करने एवं ग्राम–औरंगाबाद खालसा, मजरा–ख्वाजापुर, तहसील व जनपद–लखनऊ के खसरा संख्या–1350 (पी), 1356 (पी), 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384(पी), 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431 तथा 1433 जिनका कुल क्षेत्रफल 3.437 हेक्टेअर है, का भू–उपयोग लखनऊ महायोजना–2021 में निर्धारित आवासीय से पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी भू–उपयोग में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव पर विचारपूर्वक चर्चा की गई। ग्राम–जुगौली, जनपद–लखनऊ के खसरा संख्या–87 एवं 88 का अंश भाग जिनका कुल क्षेत्रफल 0.809 हेक्टेअर है, में से 2000 वर्गमीटर क्षेत्र का लखनऊ महायोजना–2021 में निर्धारित भू–उपयोग पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी से सामुदायिक सुविधाएं/उपयोगिताएं एवं सेवाएं भू–उपयोग में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

ग्राम–औरंगाबाद खालसा तहसील व जनपद–लखनऊ के खसरा संख्या–1062, 1063, 1064, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1341, 1342, 1344, 1345, 1352, 1354 तथा 1359 जिनका कुल क्षेत्रफल 2.603 हेक्टेअर है, को लखनऊ महायोजना–2021 में निर्धारित भू–उपयोग पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तित करने एवं ग्राम–औरंगाबाद खालसा, मजरा–ख्वाजापुर, तहसील व जनपद–लखनऊ के खसरा संख्या–1350 (पी), 1356 (पी), 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384(पी), 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431 तथा 1433 जिनका कुल क्षेत्रफल 3.437 हेक्टेअर है, का भू–उपयोग लखनऊ महायोजना–2021 में निर्धारित आवासीय से पार्क एवं खुले क्षेत्र/हरित पट्टी भू–उपयोग में परिवर्तित करने का निर्णय लिया

गया। सन्दर्भित दोनों भू–उपयोगों के प्रति शासन की स्वीकृति हेतु शासन को पत्र प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया।

विषय संख्या : 14 नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज को विराज खण्ड के तखवा गांव में आवंटित 4.80 एकड़ भूमि पर लगे दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज शासकीय संस्था होने के कारण विशेष परिस्थितियों में दण्ड ब्याज माफ किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 15 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैलेन्स शीट वर्ष 2006–07 प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना।

निर्णय : बैलेन्स शीट अवलोकित की गयी एवं निम्न निर्देश दिये गये :–
(1) समस्त आवंटियों के बकाये का मिलान लेजर (खातों) से कर लिया जाये,
(2) स्टाफ एवं अभियंत्रण खण्डों के दिये गये अग्रिमों का मिलान कर लिया जाये,
(3) चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा पूरी जिम्मेदारी के साथ बैलेन्स शीट तैयार की जाये तथा उस पर जिम्मेदारी का प्रमाण पत्र अंकित किया जाये,
(4) वित्त नियंत्रक इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में बैलेन्स शीट प्रस्तुत करें।

अनु0वि0 संख्या : 1 प्राधिकरण के प्रयोगार्थ एक अदद अम्बेसडर पेट्रोल कार तथा एक अदद स्कार्पियो वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

अनु0वि0 संख्या : 2 भारतीय रिजर्व बैंक भवन की सुरक्षा चौकी के निर्माण का अनुमोदन।

निर्णय : सुरक्षा चौकी/वाच टावर बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

अनु0वि0 संख्या : 3 लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजन हेतु इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा पट्टे पर दी गयी भूमि का लखनऊ महायोजना–2021 में निर्धारित भू–उपयोग को परिवर्तित करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी एवं सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।

अनु0वि0 संख्या : 4	गोमती नगर के विक्रान्त खण्ड में व्यवसायिक / फैसलिटीज भूखण्ड संख्या : सी–1 पर 'राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के कार्यालय भवन हेतु आयोग द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र के सेटबैक की छूट के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए शासन को सन्दर्भित करने का निर्णय लिया गया।
अनु0वि0 संख्या : 5	गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत लाल डोरा के अन्दर स्थित निर्माणों से विकास शुल्क लिए जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्ताव स्थगित किया गया। निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव का पुनः विधिवत् परीक्षण कर लिया जाये।
अनु0वि0 संख्या : 6	गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क के निर्माण / विकास हेतु रू0 11.54 करोड़ की धनराशि प्राधिकरण द्वारा स्वस्रोत से तथा रू0 3.00 करोड़ की धनराशि अवस्थापना विकास निधि से किये गये व्यय को पुनः प्राधिकरण निधि में परिवर्तित किये जाने एवं उक्त धनराशि को गोमती नगर योजना की विक्रय हेतु अवशेष सम्पत्तियों पर भारित किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्ताव पर विचारपूर्वक चर्चा की गयी एवं निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव का पुनः गम्भीरतापूर्वक परीक्षण कर लिया जाये।
अन्य बिन्दु :	नगर के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित अवैध कालोनियों से उत्पन्न समस्याओं के सम्बन्ध में भी विचार किया गया एवं शहर में अवैध कालोनियों के विनियमितिकरण पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक कालोनियों का विस्तृत परीक्षण कर लिया जाये तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुरूप यथा अपेक्षित विकास कार्य की भी एक कार्य योजना तैयार करा ली जाये। परीक्षणोपरान्त यदि शासनादेश के संशोधन की आवश्यकता होती है तो उस स्थिति में प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाये।

(एस0एस0 मिश्र)
सचिव

(एम0एस0 रवि)
उपाध्यक्ष

(विजय शंकर पाण्डेय)
आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।